

केन्द्र सरकार का वर्ष 2012-13 में अब तक का राजकोषीय परिणाम वर्ष 2011-12 की तुलना में महत्वपूर्ण सुधार निर्दिष्ट करता है। वर्ष 2012-13 में राजकोषीय परिणाम संवृद्धि में मंदी के वृहद्-आर्थिक घटनाक्रमों, कच्चे तेल की उच्च वैश्विक कीमतों तथा बजटीय विनिवेश कार्यक्रम को प्रभावी करने के लिए मंद वित्तीय बाजार दशाओं द्वारा प्रभावित हुआ। ये घटनाक्रम वर्तमान वर्ष के प्रथमार्ध में जारी रहे। तब सरकार ने सुधारों के लिए अपेक्षाकृत अधिक प्रयास किया। एक आरम्भिक उपाय केलकर समिति का गठन किया जाना था। इसकी सिफारिशों का अनुसरण करते हुए, सरकार ने एक संशोधित राजकोषीय समेकन रूपरेखा को अनावृत्त किया। राज्यों की राजकोषीय स्थिति में प्रगति जारी रही है जहां राजकोषीय घाटे के सकल घरेलू उत्पाद का 2.1 प्रतिशत होने की बजटीय व्यवस्था की गई है। निर्दिष्ट राजकोषीय समेकन पथ पर बने रहना न केवल वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में उच्चतर संवृद्धि तथा निम्नतर मुद्रास्फीति के अर्थ में वांछनीय वृहद्-आर्थिक परिणामों को कायम रखने के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि बढ़ते चालू खाता घाटे के वित्तपोषण को कम करने के लिए भी महत्वपूर्ण है जिसके लिए भारत का सरकारी ऋण दर निर्धारण महत्वपूर्ण है। कराधार को व्यापक बनाना तथा व्यय का पूर्विकतानिर्धारण मध्यावधि में केन्द्र सरकार के राजकोषीय घाटे में वांछनीय अपचयन को प्रभावी करने तथा राजकोषीय लक्ष्य प्राप्ति (वास्तविक परिणामों तथा स.घ.उ. के अनुपात के रूप में बजटीय अनुमानों के बीच अंतर) के लिए प्रमुख जोखिमों को कम करने में प्रमुख कारक हैं।

3.2 नवीनतम उपलब्ध आंकड़े वृहद्-आर्थिक माहौल में क्रमावर्तन के प्रारम्भिक संकेत निर्दिष्ट करते हैं। वर्ष 2011-12 में परिलक्षित दबाव वर्तमान वर्ष के सम्पूर्ण प्रथमार्ध में जारी रहा जिससे सुधार प्रक्रिया में विलम्ब हुआ। यह संवृद्धि के 5.5 प्रतिशत से निरंतर नीचे बने रहने, मुद्रास्फीति के कुछ कुछ संतुलित होने किन्तु 7 प्रतिशत से ऊपर बने रहने तथा कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में केवल एक अल्पावधिक संतुलन होने में अभिव्यक्त होता है। वित्तीय बाजारों में सुधार, जिसमें सुधारों को आरम्भ किए जाने के साथ तीव्रता आई, जनवरी, 2013 में मुद्रास्फीति के संतुलित होकर 6.6 प्रतिशत होना तथा औद्योगिक मंदी का एक दम कम हो जाना क्रमावर्तन के मोटे संकेतक हैं। वर्तमान राजकोषीय वर्ष के प्रथमार्ध में राजकोषीय परिणाम में प्रवृत्तियों को निर्दिष्ट करते हुए, मध्य वर्षीय आर्थिक विश्लेषण 2012-13 में यह निर्दिष्ट किया गया कि राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन नियमावली के अर्थ में मध्य वर्षीय आरम्भिक तल चिह्न पूरे नहीं हुए थे तथा प्रस्तावित सुधारात्मक उपायों के साथ, राजकोषीय घाटे के बजट अनुमानों से 0.2 प्रतिशतांक बिन्दु अधिक होने की संभावना थी। इस चुनौती

की गम्भीरता को बजट प्रस्तुत करने के समय किए गए अनुमानों की तुलना अब तक के वास्तविक परिणाम के साथ करके आंका जा सकता है।

3.3 वर्ष 2012-13 के लिए बजट का प्रस्तुतीकरण 16 मार्च 2012 को वैश्विक तथा घरेलू आर्थिक दृष्टिकोण के बारे में अनिश्चितता के माहौल में किया गया था। कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों के सतत् उच्च स्तरों तथा घरेलू दबावों जो मुद्रास्फीति के निरंतर बने रहने में अभिव्यक्त थे, के कारण ब्याज दरों को उच्च बनाए रखना आवश्यक हो गया जिसका सकल मांग (खपत तथा निवेश दोनों) पर प्रभाव पड़ा। वर्ष 2012-13 के बजट में 2011-12 में भारत की संवृद्धि में मंदी का कारण कमजोर औद्योगिक वृद्धि को बताया गया तथा उस समय केन्द्रीय क्षेत्रों में सुधार को रेखांकित किया गया जिसे क्रमिक सुधार के चिह्न के रूप में परिलक्षित किया गया था। इस प्रकार मुद्रास्फीति के वर्षानुवर्ष आधार पर संतुलित होने के साथ वास्तविक स.घ.उ. के लगभग 7.6 प्रतिशत पर बढ़ने का अनुमान है। वर्ष 2011-12 में राजकोषीय कमी प्रत्यक्ष कर राजस्वों में निम्नतर वसूली तथा

आर्थिक सहायता के अल्प प्रावधानन के कारण थी। कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों के वर्धित स्तरों के कारण आर्थिक सहायता पर व्यय के उच्चतर स्तरों का निधियन करने की आवश्यकता को स्वीकारते हुए, उसके लिए बजट 2012-13 में उच्चतर प्रावधान किया गया था। तथापि, राजकोषीय समेकन प्रक्रिया के भाग के रूप में बजट में केन्द्रीय आर्थिक सहायता पर व्यय को स.घ.उ. के 2 प्रतिशत में कम पर प्रतिबंधित करने के आशय की घोषणा भी की गई।

3.4 वर्ष 2012-13 के लिए बजट में वित्त विधेयक के भाग के रूप में एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन पुरःस्थापित किए गए। इन संशोधनों में व्यय सुधारों की दो महत्वपूर्ण विशिष्टताएं सन्निहित थीं। पहली विशिष्टता प्रभावी राजस्व घाटे की संकल्पना की शुरुआत है जिसने पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदानों को पारम्परिक राजस्व घाटे से अलग कर दिया। यह इस कारण से एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है कि जबकि समेकित सामान्य सरकार का राजस्व घाटा उपगत किए गए कुल पूंजीगत व्यय को दर्शाता है, केन्द्र के खातों में इन अंतरणों को राजस्व व्यय के रूप में दर्शाया गया है। अतः केन्द्र के पारम्परिक राजस्व घाटे को समाप्त करने का अधिदेश समस्यामूलक बन जाता है। इस संशोधन के साथ, एफआरबीएम अधिनियम के तहत सरकार का प्रयास प्रभावी राजस्व घाटे को समाप्त करने का होगा। इसी प्रकार, राज्य स्तर पर भी स्थानीय निकायों या राज्यवत् संगठनों को कुछ पूंजी अंतरण राजस्व व्यय के रूप में प्रतिबिम्बित हो सकते हैं। पूंजीगत व्यय का अल्प कथन करना सरकारी खातों में पूंजी निर्माण संबंधी राष्ट्रीय लेखा आंकड़ों तथा बजटों से एकत्रित पारम्परिक सरकारी वित्त आंकड़ों में भिन्नता में परिणामी हो सकता है।

3.5. दूसरी महत्वपूर्ण विशिष्टता एफआरबीएम अधिनियम में 'मध्यावधिक व्यय ढांचा विवरण' के लिए प्रावधान की शुरुआत है। यह मध्यावधिक ढांचा व्यय के लिए चल लक्ष्य उपलब्ध कराता है, अपेक्षाकृत अधिक निश्चितता प्रदान करता है तथा व्यय के पूर्विकता निर्धारण को प्रोत्साहित करता है। कर - स.घ.उ. अनुपात को बढ़ाने के लिए प्रस्तावित उपायों के साथ मिलकर, व्यय सुधारों के बेहतर राजकोषीय लक्ष्य प्राप्ति में परिणामी होने की आशा है जिससे प्रमुख राजकोषीय जोखिम कम होंगे।

राजकोषीय लक्ष्य प्राप्ति

3.6 एफआरबीएम अधिनियम के पश्चात् किन्तु वैश्विक वित्तीय संकट से पूर्व, महत्वपूर्ण राजकोषीय समेकन हासिल किया गया जब केन्द्र का राजकोषीय घाटा वर्ष 2007-08 में तीव्रता से घट कर स.घ.उ. का 2.5 प्रतिशत हो गया जो एफआरबीएम अधिनियम में निर्धारित 3 प्रतिशत की आरम्भिक सीमा से काफी कम था (सारणी 3.1)। तथापि, सरकार की राजकोषीय नीति का मूल्यांकन राजकोषीय तथा राजस्व घाटों के अर्थ में केवल समग्र राजकोषीय लक्ष्य प्राप्ति के आधार पर ही नहीं किया जाता जो वस्तुतः माने गए संकेतक

हैं बल्कि प्रमुख राजस्व तथा व्यय लक्ष्यों के अर्थ में लक्ष्य प्राप्ति के आधार पर भी किया जाता है।

वर्तमान बाजार कीमतों (सीएमपी) पर स.घ.उ. के अनुपात केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएमओ) की राष्ट्रीय लेखा 2004-05 श्रृंखला पर आधारित हैं।

3.7 यह उल्लेख करना उपयोगी होगा कि एफआरबीएम के तत्काल बाद की अवधि में, केन्द्र सरकार की राजकोषीय लक्ष्य प्राप्ति के श्रेय में वर्ष 2008-09 तथा 2010-11 को छोड़कर अतिनिष्पादनों की श्रृंखला थी (चित्र 3.1)। जबकि वर्ष 2008-09 में घाटा लक्ष्यों का अत्यधिक होना वैश्विक वित्तीय संकट के प्रतिकूल प्रभाव को समाप्त करने के लिए लिया गया एक सचेत निर्णय था, वर्ष 2011-12 में भारी कमी का कारण वैश्विक तथा घरेलू कारकों से प्रत्युत्पन्न प्रतिकूल आर्थिक परिणामों का एक संगम था। यह निम्न के कारण निम्नतर प्राप्तियों (जो कुल कमी के लगभग 58 प्रतिशत को स्पष्ट करती हैं) के कारण था - वास्तविक स.घ.उ. की वृद्धि में, विशेष रूप से उद्योग क्षेत्र में तीव्र गिरावट, मुद्रास्फीति के वर्धित स्तर, अपेक्षित विनिवेश प्राप्तियों का सृजन करने के लिए मंदित वित्तीय बाजार दशाएं तथा व्यय का अत्यधिक बढ़ना (जो कमी के शेष 42 प्रतिशत के लिए उत्तरदायी है) जिसका मुख्य कारण वैश्विक कच्चे तेल तथा उर्वरक कीमतों के निरंतर उच्च स्तरों का बने रहना था जो घरेलू कीमत निर्धारण

सारणी 3.1 : केन्द्र सरकार के घाटे की प्रवृत्तियां


वर्ष	राजस्व घाटा	राजकोषीय घाटा	प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटे के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा
(सघउ के प्रतिशत के रूप में)				
एफआरबीएम का अधिनियम				
2003-4	3.5	4.3	0.0	79.7
2004-5	2.4	3.9	0.0	62.3
2005-6	2.5	4.0	0.4	63.0
2006-7	1.9	3.3	-0.2	56.3
2007-8	1.1	2.5	-0.9	41.4
2008-9	4.5	6.0	2.6	75.2
2009-10	5.2	6.5	3.2	81.0
2010-11	3.2	4.8	1.8	67.5
2011-12(ब.अ.)	3.4	4.6	1.6	74.4
2011-12(अनंतिम)	4.3	5.7	2.6	75.5
2012-13(ब.अ.)	3.5	5.1	1.9	68.2

स्रोत : केन्द्रीय बजट दस्तावेज और लेखा महा नियंत्रक ब.अ. : बजट अनुमान

अनंतिम: अनंतिम वास्तविक आंकड़े (अलेखापरीक्षित)

टिप्पणियां : चालू बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. के प्रति अनुपात केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय की राष्ट्रीय लेखा 2004-05 श्रृंखला पर आधारित हैं।

चित्र 3.1: केन्द्र सरकार के घाटे की प्रवृत्तियां तथा राजकोषीय लक्ष्य-प्राप्ति



को अंतरित नहीं किए गए। इस प्रकार, राजकोषीय परिणाम को जोखिम बजटबद्ध राजस्व प्राप्त करने तथा प्रमुख व्यय मदों के अल्प प्रावधान में सन्निहित हैं; जो दोनों वर्ष 2011-12 तथा वर्ष 2012-13 (अप्रैल-सितम्बर) में बहुत अधिक बढ़ गए थे।

3.8 राजकोषीय परिणाम सांकेतिक स.घ.उ. के संबंध में अंतर्हित अनुमान द्वारा भी प्रभावित होता है। स.घ.उ. के अनुपात के रूप में ह्रासमान राजकोषीय घाटा या तो समय के साथ राजकोषीय घाटे की ह्रासमान संवृद्धि का अथवा समय के साथ स.घ.उ. की वर्धमान संवृद्धि का या दोनों का परिणाम होगा। वर्ष 2008-09 से पहले पश्च-एफआरबीएम अवधि में स.घ.उ. के प्रति राजकोषीय घाटे का घटता अनुपात मुख्यतया राजकोषीय घाटे की वृद्धि में गिरावट का परिणाम था। (सारणी 3.2)। वर्ष 2011-12 में, विगत वर्ष में स.घ.उ. में वृद्धि की तुलना में राजकोषीय घाटे में वृद्धि के अकस्मात बढ़ जाने से स.घ.उ. के प्रति राजकोषीय घाटे का अनुपात अपेक्षाकृत उच्च हो गया।

सारणी 3.2 : राजकोषीय घाटे तथा स.घ.उ. में रुझान

वर्ष	राजकोषीय घाटा (₹ करोड़)	राजकोषीय घाटे में वृद्धि (प्रतिशत)	चालू बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. (₹ करोड़)	स.घ.उ. में वृद्धि (प्रतिशत)
2004-5	125794	2.0	3242209	14.2
2005-6	146435	16.4	3693369	13.9
2006-7	142573	-2.6	4294706	16.3
2007-8	126912	-11.0	4987090	16.1
2008-9	336992	165.5	5630063	12.9
2009-10	418482	24.2	6477827	15.1
2010-11	373592	-10.7	7795314	20.3
2011-12(अं.)	509732	36.4	8974947	15.1
2012-13(ब.अ.)	513590	0.8	10028118	11.7

स्रोत : केन्द्रीय बजट दस्तावेज तथा लेखा महानियंत्रक तथा केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय

ब.अ. : बजट अनुमान

अ: अनंतिम वास्तविक आंकड़े (अलेखापरीक्षित)

ऋण भिन्न प्राप्तियां

3.9 वार्षिक बजट के समय, राजकोषीय समायोजन अनिवार्यतः केन्द्र सरकार की कुल ऋण-भिन्न प्राप्तियों में तथा कुल व्यय में वृद्धि के संबंध में अनुमानों के बारे में है। वर्ष 2012-13 के बजट में ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों (राजस्व प्राप्तियां जमा ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियां) में 22.7 प्रतिशत की वृद्धि की तथा कुल व्यय में 2011-12 (संशोधित अनुमान) की तुलना में 13.1 प्रतिशत की वृद्धि की परिकल्पना की गई थी। राजस्व प्राप्तियां ब.अ. 2012-13 में, 9,35,685 करोड़ रुपए पर अनुमानित थीं जिसमें 7,71,071 करोड़ रुपए का निवल कर राजस्व तथा 1,64,614 करोड़ रुपए का कर-भिन्न राजस्व शामिल था। 11,650 करोड़ रुपए की ऋण वसूलियों तथा 30,000 करोड़ रुपए की विनिवेश प्राप्तियों के साथ मिल कर वर्ष 2012-13 के बजट में वर्ष के लिए ऋण-भिन्न प्राप्तियां 9,77,335 करोड़ रुपए रखी गई हैं। वर्तमान राजकोषीय वर्ष के लिए अनुमानों का मूल्यांकन करने से पूर्व, वर्ष 2011-12 (ब.अ.) के पीछे अनुमानों की तुलना में वर्ष 2011-12 में परिणाम का विश्लेषण करना अनुदेशात्मक होगा।

3.10 वर्ष 2011-12 के बजट में ऋण-भिन्न प्राप्तियों में 3.6 प्रतिशत की वर्षानुवर्ष वृद्धि का अनुमान लगाया गया था जिसमें वर्ष 2010-11 (सं.अ.) की तुलना में सकल कर राजस्व में 18.5 प्रतिशत की वृद्धि तथा कर-भिन्न राजस्व में (-) 43.0 प्रतिशत की वृद्धि शामिल है। वर्ष 2010-11 (सं.अ.) में 3जी-स्पेक्ट्रम की नीलामी की एकबारगी प्राप्तियों के लिए समायोजन करने के पश्चात् वर्ष 2011-12 (ब.अ.) में ऋण-भिन्न प्राप्तियों तथा कर-भिन्न राजस्व की वर्षानुवर्ष वृद्धि क्रमशः 19.1 प्रतिशत तथा 9.9 प्रतिशत आंकी गई थी। लेखा महानियंत्रक के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार वास्तविक परिणाम वर्ष 2010-11 (सं.अ.) की तुलना में वर्ष 2011-12 में ऋण-भिन्न प्राप्तियों, सकल कर राजस्व, तथा कर-भिन्न राजस्व में क्रमशः (-)3.3 प्रतिशत, 13.2 प्रतिशत तथा (-)43.5 प्रतिशत की वृद्धि निर्दिष्ट करते हैं। वर्ष 2010-11 (सं.अ.) में 3जी स्पेक्ट्रम की नीलामी की एक बारगी प्राप्तियों के

लिए समायोजन करते हुए, वर्ष 2011-12 (अनंतिम वास्तविक आंकड़े) में ऋण-भिन्न प्राप्तियों तथा कर-भिन्न राजस्व की वर्षानुवर्ष वृद्धि क्रमशः 11.2 प्रतिशत तथा 8.9 प्रतिशत आंकी गई है।

3.11 जबकि बजट अनुमान में राजस्व प्राप्तियों के 7,89,892 करोड़ रुपए तथा कुल व्यय के 12,57,729 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया था, अनंतिम वास्तविक आंकड़े क्रमशः 7,56,193 करोड़ रुपए तथा 12,98,444 करोड़ रुपए थे जिसमें बजटीय व्यवस्था किए गए 4,12,817 करोड़ रुपए की तुलना में 5,09,732 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा रहा (परिशिष्ट सारणी 12.9)। जैसाकि पहले निर्दिष्ट किया गया है, वास्तविक राजकोषीय परिणाम वर्ष 2011-12 में कतिपय प्रतिकूल वृहद् आर्थिक घटनाक्रमों द्वारा प्रभावित हुआ। ऋण-भिन्न प्राप्तियों तथा व्यय में वृद्धि का कुछ अपेक्षाकृत दीर्घ क्षैतिज विश्लेषण एक मिश्रित परिणाम को निर्दिष्ट करता है। स.घ.उ. के प्रति ऋण-भिन्न प्राप्तियों तथा स.घ. उ. के प्रति कुल व्यय अनुपात के बीच एक व्यापक अंतराल अवलोकित किया जा सकता है जो अनिवार्यतः राजकोषीय घाटे के विस्तार को प्रतिबिम्बित करता है (सारणी 3.3)। स.घ.उ. के अनुपात के रूप में, पश्च संकट अवधि में कुल व्यय महत्वपूर्ण

रूप से निम्नतर है [चित्र 3.2(क)]। दूसरी ओर, स.घ.उ. के प्रति कुल प्राप्तियों का अनुपात पश्च संकट अवधि में अस्थिर रहा, फिर भी इसमें विगत वर्ष की तुलना में 2012-13 (ब.अ.) में पर्याप्त सुधार आने का अनुमान है। आगे यह भी अवलोकन किया गया है कि वर्ष 2008-09 से कुल व्यय की वृद्धि में 2012-13 के बजट अनुमान को छोड़कर सामान्यतः गिरावट आती रही है। वर्ष 2012-13 (ब.अ.) में कुल व्यय की उच्चतर वृद्धि की क्षतिपूर्ति राजस्व प्राप्तियों में अपेक्षाकृत काफी उच्चतर वृद्धि द्वारा की जानी होगी [चित्र 3.2(क)]। इस का वास्तविक अर्थ होगा एक अपेक्षाकृत उच्च कर उत्प्लावकता जिसका आधारवाक्य ब.अ. 2012-13 के समय वृहद् आर्थिक माहौल में परिकल्पित क्रमावर्तन है।

3.12 कर उत्प्लावकता स.घ.उ. या राष्ट्रीय आय के संबंध में कर प्राप्तियों की अनुक्रियाशीलता का माप है। कर उत्प्लावक होता है जब राजस्व में वृद्धि स.घ.उ. में 1 प्रतिशत वृद्धि के लिए 1 प्रतिशत से अधिक होती है। पश्च एफआरबीएम अवधि में, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर दोनों ही संकट वर्षों 2008-09 तथा 2009-10) तथा 2011-12 को छोड़कर उत्प्लावक बने रहे (चित्र 3.3)। वर्ष 2011-12 के दौरान, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर राजस्व, दोनों में

सारणी 3.3 : केन्द्र सरकार की प्राप्तियां और व्यय

	2007-8	2008-9	2009-10	2010-11#	2011-12 (ब.अ.)	2011-12 (अनंतिम)	2012-13 (ब.अ.)
	(सघउ के प्रतिशत के रूप में)						
1 राजस्व प्राप्तियां (क+ख)	10.9	9.6	8.8	10.1	8.8	8.4	9.3
(क) कर राजस्व (राज्यों का हिस्सा घटकर)	8.8	7.9	7.0	7.3	7.4	7.0	7.7
(ख) कर-भिन्न राजस्व	2.1	1.7	1.8	2.8	1.4	1.4	1.6
2 राजस्व व्यय	11.9	14.1	14.1	13.4	12.2	12.7	12.8
जिसमें से निम्नलिखित पर हुआ व्यय							
(क) ब्याज अदायगियां	3.4	3.4	3.3	3.0	3.0	3.0	3.2
(ख) मुख्य सविसडी	1.3	2.2	2.1	2.1	1.5	1.6	1.8
(ग) रक्षा व्यय	1.1	1.3	1.4	1.2	1.1	1.1	1.1
3 राजस्व घाटा (2-1)	1.1	4.5	5.2	3.2	3.4	4.3	3.5
4 पूंजीगत प्राप्तियां	3.4	6.1	7.0	5.2	5.2	6.0	5.5
जिसमें से निम्नलिखित से हुई प्राप्तियां							
(क) ऋणों की वसूली	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1
(ख) अन्य प्राप्तियां (मुख्यतया केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश)	0.8	0.0	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3
(ग) उधार और अन्य देयताएं [§]	2.5	6.0	6.5	4.8	4.6	5.7	5.1
5 पूंजीगत व्यय	2.4	1.6	1.7	2.0	1.8	1.8	2.0
6 ऋण भिन्न प्राप्तियां	11.7	9.7	9.4	10.6	9.4	8.8	9.7
7 कुल व्यय [2+5=7(क)+7(ख)]	14.3	15.7	15.8	15.4	14.0	14.5	14.9
जिसमें से निम्नलिखित पर हुआ व्यय							
(क) आयोजनागत व्यय	4.1	4.9	4.7	4.9	4.9	4.6	5.2
(ख) आयोजना-भिन्न व्यय	10.2	10.8	11.1	10.5	9.1	9.9	9.7
8 राजकोषीय घाटा [7-6]	2.5	6.0	6.5	4.8	4.6	5.7	5.1
9 प्राथमिक घाटा [8-2(क)]	-0.9	2.6	3.2	1.8	1.6	2.6	1.9

स्रोत : केन्द्रीय बजट दस्तावेज और लेखा महा नियंत्रक

सीपीएसई : केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम।


वर्ष 2010-11 के लिए अनंतिम वास्तविक आंकड़ों पर आधारित।

§ इसमें बाजार स्थिरीकरण योजना से संबंधित प्राप्तियां शामिल नहीं है जो केन्द्र सरकार के नकद शेष में रहेंगी और व्यय के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएंगी।


टिप्पणियां: 1. चालू बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. का अनुपात सीएसओ के राष्ट्रीय लेखों की 2004-05 श्रृंखला पर आधारित है।

2. पूर्णांकन किए जाने/मोटे अनुमानों के कारण आंकड़े संभवतः जोड़ से मेल न खाएं।

चित्र 3.2 (क): ऋण-भिन्न प्राप्तियों तथा कुल व्यय की प्रवृत्तियां (स.घ.उ. का प्रतिशत)



चित्र 3.2 (ख): ऋण-भिन्न प्राप्तियों तथा कुल व्यय की वृद्धि



ब.अ. की प्रत्याशित वृद्धि के साथ-साथ 2010-11 की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत निम्न दर पर वृद्धि हुई (सारणी 3.4) जिसका मुख्य कारण आर्थिक मंदी, कमजोर बाजार मनोभाव, धीमी निवेश वृद्धि, वैश्विक अनिश्चितता तथा निरंतर उच्च मुद्रास्फीति का होना था। यह कर उत्प्लावकता में तीव्र गिरावट में परिणामी हुई। यह गिरावट वैयक्तिक आय करों की अपेक्षा कारपोरेट करों में अधिक हुई है। इस अवधि के दौरान, प्रत्यक्ष कर उत्प्लावकता (सांकेतिक स.घ.उ. संवृद्धि के प्रति प्रत्यक्ष कर वृद्धि का अनुपात) में भी गिरावट आई तथा यह 1 से कम रही है। ऐसा उच्चतर मुद्रास्फीति को विचार में लेते हुए कारपोरेटों की अपेक्षाकृत निम्न लाभ प्रदत्ता के कारण हो सकता है।


3.13 वर्ष 2012-13 के बजट में घोषित किए गए अनेक उपायों, जैसे एक एकल नकारात्मक सूची (छूट प्राप्त श्रेणियों की) के जरिए सेवाकर को व्यापकाधारित बनाना, वैयक्तिक आय कर के लिए दरों तथा स्लैब की एक नई अनुसूची उत्पाद शुल्क की मानक दर के साथ-साथ गुणता दरों को बढ़ाना तथा सीमाशुल्क की 10

प्रतिशत की चरम दर जिसे आयात मांग में बढ़ोतरी के बावजूद अपरिवर्तित छोड़ दिया गया था, के आधार पर उच्चतर कर राजस्व अनुमानित किए गए थे। कर राजस्व तथा कर भिन्न राजस्व के विभिन्न संघटकों में प्रवृत्तियों के ब्यौरों पर चर्चा निम्नलिखित पैराग्राफों में की गई है।

प्रत्यक्ष कर

3.14 जैसाकि सारणी 3.4 से स्पष्ट है, वर्ष 2007-08 से सकल कर राजस्व में संघटनात्मक परिवर्तन आया है। स.घ.उ. के अनुपात के रूप में, प्रत्यक्ष करों का हिस्सा वर्ष 2011-12 में 5.5 प्रतिशत था जो वर्ष 2007-08 में 5.9 प्रतिशत की चरम दर से काफी निम्न है। वर्ष 2012-13 के बजट में प्रत्यक्ष करों में वर्ष 2011-12 (सं.अ.) की तुलना में 13.9 प्रतिशत की वृद्धि परिकल्पित की गई है। कर दरों के संतुलन की नीति को जारी रखते हुए, बजट में व्यष्टि कर दाताओं के लिए स्लैबों को और व्यापक बनाया गया

चित्र 3.3: कर उत्प्लावकता की प्रवृत्तियां



सारणी 3.4 : कर राजस्व के स्रोत

	2007-8	2008-9	2009-10	2010-11	2011-12 (ब.अ.)	2011-12 (अ.)	2012-13 (ब.अ.)
	(₹ करोड़)						
प्रत्यक्ष कर (क)	295938	319859	367648	438477	525151	489312	564337
वैयक्तिक आयकर	102644	106046	122475	139069	164526	165276	189866
निगम कर	192911	213395	244725	298688	359990	323250	373227
अप्रत्यक्ष कर (ख)	279031	269433	244737	344530	397250	392273	504423
सीमाशुल्क	104119	99879	83324	135813	151700	149489	186694
उत्पाद शुल्क	123611	108613	102991	137701	163550	145205	193729
सेवा कर	51301	60941	58422	71016	82000	97579	124000
सकल कर राजस्व[#]	593147	605299	624528	793072	932440	890622	1077611
	सकल कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व						
प्रत्यक्ष कर (क)	49.9	52.8	58.9	55.3	56.3	54.9	52.4
वैयक्तिक आयकर	17.3	17.5	19.6	17.5	17.6	18.6	17.6
निगम कर	32.5	35.3	39.2	37.7	38.6	36.3	34.6
अप्रत्यक्ष कर (ख)	47.0	44.5	39.2	43.4	42.6	44.0	46.8
सीमाशुल्क	17.6	16.5	13.3	17.1	16.3	16.8	17.3
उत्पाद शुल्क	20.8	17.9	16.5	17.4	17.5	16.3	18.0
सेवा कर	8.6	10.1	9.4	9.0	8.8	11.0	11.5
	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व						
प्रत्यक्ष कर (क)	5.9	5.7	5.7	5.6	5.8	5.5	5.6
वैयक्तिक आयकर	2.1	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.9
निगम कर	3.9	3.8	3.8	3.8	4.0	3.6	3.7
अप्रत्यक्ष कर (ख)	5.6	4.8	3.8	4.4	4.4	4.4	5.0
सीमाशुल्क	2.1	1.8	1.3	1.7	1.7	1.7	1.9
उत्पाद शुल्क	2.5	1.9	1.6	1.8	1.8	1.6	1.9
सेवा कर	1.0	1.1	0.9	0.9	0.9	1.1	1.2
सकल कर राजस्व[#]	11.9	10.8	9.6	10.2	10.4	9.9	10.7

स्रोत : केन्द्रीय बजट दस्तावेज और लेखा महानियंत्रक

इसमें (क) तथा (ख) में उल्लिखित कर तथा संघ राज्य क्षेत्रों के कर और “अन्य” कर शामिल हैं।

टिप्पणी : (1) प्रत्यक्ष करों में व्यय, ब्याज, सम्पत्ति, उपहार तथा सम्पदा शुल्क संबंधी कर शामिल हैं।

(2) चालू बाज़ार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद में अनुपात सीएसओ की राष्ट्रीय लेखा 2004-05 श्रृंखला पर आधारित हैं।

है। 60 वर्ष की आयु से कम के व्यक्ति करदाताओं के लिए छूट की सीमा को 1,80,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया गया है। 20 प्रतिशत कर दर की आय स्लैब को सभी व्यक्ति करदाताओं के लिए उनकी आय कुछ भी होने के बावजूद व्यापक बनाया गया है तथा यह 5 लाख रुपए तथा 8 लाख रुपए की पूर्ववर्ती स्लैब के बजाए अब 5 लाख रुपए तथा 10 लाख रुपए के बीच कुल आय वालों पर प्रयोज्य होगी। 30 प्रतिशत की कर दर अब 10 लाख रुपए से अधिक की कुल आय पर प्रयोज्य होगी। विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों में कतिपय लेनदेनों पर प्रतिभूति लेनदेन कर विद्यमान 0.125 प्रतिशत से घटाकर 0.1 प्रतिशत कर दिया गया है।

3.15 वर्ष 2012-13 के बजट में प्रत्यक्ष कराधार को विस्तारित करने के लिए लक्षित दो विशिष्ट उपाय थे: आयकर अधिनियम

में जीएआर के प्रावधानों की शुरुआत तथा वैकल्पित न्यूनतम कर (एएमटी) के प्रावधानों को सभी कम्पनी-भिन्न निर्धारितियों पर लागू करना। कर की संतुलित दरों के माहौल में, यह आवश्यक है कि आक्रामक कर आयोजना तथा रिहायशी के साथ-साथ स्रोतण पूंजी के लिए स्पष्ट निम्न कर क्षेत्राधिकारों के प्रयोग के मद्देनजर सही कराधार को कर के अधीन लाया जाए। जीएआर में एक अध्याय की शुरुआत द्वारा ‘सबस्टेंस ओवर फार्म’ के सिद्धांत को कूटीकृत करने के लिए सांविधिक प्रावधान बनाने की आवश्यकता को महसूस किया गया है। तथापि, नियमों तथा शोम समिति की अनुशंसाओं के बारे में उठाई गई आशंकाओं के मद्देनजर, प्रावधानों की आस्थगित कर दिया गया है।

62 आर्थिक समीक्षा 2012-13

3.16 उपरोक्त के अलावा, आधार को व्यापक बनाने के उद्देश्य से, ए एम टी संबंधी प्रावधान सभी कम्पनी-भिन्न निर्धारितियों पर लागू किए गए हैं तथा यह उपबंधित किया गया है कि कम्पनी से भिन्न कोई भी व्यक्ति, जिसने, 'सी-कतिपय आयों के संबंध में छूटें' शीर्ष के तहत अध्याय VI-क में शामिल किसी धारा (धारा 80त को छोड़कर) या धारा 10कक के तहत छूट का दावा किया है, वह 18.5 प्रतिशत की दर पर ए एम टी अदा करने के लिए दायी होगा। अपेक्षाकृत अधिक निश्चितता लाने तथा अंतरण कीमत निर्धारण एवं अंतर्राष्ट्रीय कराधान से जुड़े मामलों में मुकदमेबाजी को कम करने के लिए अग्रिम कीमत निर्धारण करार (ए पी ए) योजना अधिसूचित की गई है। ए पी ए करदाता तथा राजस्व विभाग के बीच भविष्य में एक नियत समयावधि में लेनदेनों के समूह के लिए समुचित अंतरण कीमत निर्धारण प्रविधि के संबंध में किया गया अग्रिम करार है। अतः एपीए अंतरण कीमत निर्धारण

विधियों के संबंध में बेहतर आश्वासन की पेशकश करते हैं तथा निश्चितता एवं दृष्टिकोण सम्मति उपलब्ध कराने के लिए अनुकूल हैं।

3.17 सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक प्रयोग के जरिए कर प्रशासन की व्यवसाय प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण जारी है अर्थात् आय कर विवरणियों की ई-फाइलिंग के साथ साथ विभिन्न प्रपत्रों, लेखापरीक्षा रिपोर्टों तथा स्रोत पर कर कटौती विवरणों को इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग तथा कम्प्यूटराईज्ड केन्द्रीकृत प्रक्रियान्वयन के साथ सुमेल बनाया गया है। ये उपाय कर प्रशासन का एक अधिक दक्ष तथा स्वचालित माहौल में कार्यकरण समर्थकारी बनाएंगे।

अप्रत्यक्ष कर

3.18 वर्ष 2012-13 के बजट में अनुमानित आर्थिक सुधार के आधार पर अप्रत्यक्ष करों से अनुमानित राजस्व में

बॉक्स 3.1 : केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में क्षेत्र-विशिष्ट प्रस्ताव

- सीमेंट:** विनिर्मित तथा पैकेज रूप में समाशोधित सीमेंट पर उत्पाद शुल्क संरचना को यौक्तिकीकृत किया गया। विनिर्मित तथा पैकेज रूप में समाशोधित सीमेंट पर शुल्क प्रभाषित करने के प्रयोजनार्थ ग्रेडवार खुदरा बिक्री कीमत (आर एस पी) स्लैबों को समाप्त कर दिया गया। सीमेंट तथा सीमेंट क्लिकरों पर शुल्क दरों को निम्न प्रकार संशोधित किया गया:ख

विवरण	शुल्क की संशोधित दर
1. विनिर्मित तथा पैकेज रूप में समाशोधित सीमेंट (क) मिनी सीमेंट संयंत्रों से (ख) मिनी सीमेंट संयंत्रों को छोड़कर अन्य संयंत्रों से	6 % + ₹ 120 रु. प्रति टन 12 % + ₹ 120 रु. प्रति टन
2. पैकेज रूप को छोड़कर अन्यथा समाशोधित सीमेंट	12 %
3. सीमेंट क्लिकर	12 %

सीमेंट को धारा 4क के तहत भी अधिसूचित किया गया अर्थात् आरएसपी पर-प्रतिशत की छूट के साथ आरएसपी आधारित निर्धारण।

- बहुमूल्य धातुएं** (i) निर्यातोन्मुखी इकाइयों (ईओयू) से घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) में विक्रीत स्वर्ण आभूषणों पर उत्पाद शुल्क को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया गया; (ii) परिष्कृत स्वर्ण पर उत्पाद शुल्क को 1.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत किया गया; (iii) तांबा स्मेल्टिंग से बने स्वर्ण पर उत्पाद शुल्क को 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत किया गया; (iv) तांबा स्मेल्टिंग से बनी चांदी पर उत्पाद शुल्क को 6 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किया गया; (v) शुल्क प्रदत्त स्वर्ण से विनिर्मित 99.5 प्रतिशत तथा उससे अधिक की विशुद्धता वाले सोने के सिक्कों तथा 99.9 प्रतिशत तथा उससे अधिक की विशुद्धता वाले चांदी के सिक्कों को उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट दी गई; (vi) स्वर्ण/चांदी के आभूषणों की मर्दों को उत्पाद शुल्क से छूट दी गई।
- प्रपुंज जन खपत मर्दें** (i) 200 रुपए प्रति अदद से अनधिक के मूल्य के लेखन उपस्करों के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त रिफिलों तथा स्याहियों को वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अधीन उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की गई; (ii) जूतों पर छूट की सीमा को 250 रुपए प्रति जोड़ी से बढ़ाकर 500 रुपए प्रति जोड़ी किया गया; 500 रुपए प्रति जोड़ी से अधिक के जूतों पर 12 प्रतिशत का उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा; (iii) आयोडीन पर उत्पाद शुल्क को 10 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत किया गया।
- पर्यावरण-अनुकूल मर्दें** (i) वैद्युत वाहनों के विनिर्माताओं को अतिरिक्त पुर्जों तथा ओ ई एम के रूप में प्रयोग हेतु आपूरित बैटरी पैकों पर उत्पाद शुल्क को अंत प्रयोग शर्त के अधीन 10 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत किया गया; (ii) हाइब्रिड वाहनों के विनिर्माताओं को आपूरित हाइब्रिड वाहनों के विशिष्ट पुर्जों पर उत्पाद शुल्क को अंत प्रयोग शर्त के अधीन 10 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत किया गया; (iii) एलईडी लैम्पों पर उत्पाद शुल्क घटाकर 6 प्रतिशत किया गया।
- पेट्रोलियम:** तेल उद्योग (विकास) अधिनियम 1974 के तहत स्वदेशी पेट्रोलियम अपरिष्कृत तेल पर उद्ग्रहनीय उपकर की दर को 2500 रुपए प्रति मीट्रिक टन से बढ़ाकर 4500 रुपए प्रति मीट्रिक टन किया गया।
- वस्त्र ब्रांड नाम वाले या ब्रांड नाम के तहत बेचे जाने वाले तैयार निर्मित परिधानों पर उत्पाद शुल्क प्रभाषित करने के प्रयोजनार्थ आर एस पी से छूट का स्तर 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत किया गया।**
- प्रकीर्ण** (i) अध्याय 20 के तहत आने वाले फलों तथा सब्जियां युक्त खाद्य सम्पाकों को, जिन्हें किसी होटल, रेस्तरा या खुदरा बिक्री केन्द्र में तैयार किया जाता है, उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की गई, चाहे ऐसे खाद्य सामान की खपत ऐसे होटलों/रेस्तरा/खुदरा बिक्री केन्द्रों में हो या न हो; (ii) आटोमोबाईल चेसिस पर प्रयोज्य सम्मिश्र दर को यथामूल्य दर में परिवर्तित किया गया तथा डीजल चालित बसों, लारियों तथा ट्रकों के लिए 14 प्रतिशत पर नियत किया गया; (iii) मोबाईल फोनों के विनिर्माता के लिए समाशोधित मोबाईल फोनों के पुर्जों को छोड़कर मोबाईल फोनों के पुर्जों पर उत्पाद शुल्क को 10 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किया गया बशर्ते कि कोई सेनवेट क्रेडिट न लिया जाए; (iv) उत्पाद शुल्क को अर्ध यंत्रिकीकृत यूनियों द्वारा विनिर्मित माचिसों तथा सोया के प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों पर 10 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत किया गया (v) 113 विनिर्दिष्ट परियोजनाओं को छोड़कर, सभी मेगा/अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं से उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट को वापस ले लिया गया।

2011-12 के संशोधन अनुमान की तुलना में 26.7 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया था। जहां तक केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों का संबंध है, ब.अ. 2012-13 में 2011-12 सं.अ. की तुलना में राजस्व में 29.1 प्रतिशत की वृद्धि की संकल्पना की गई थी। पेट्रोलियम-भिन्न उत्पादों पर उत्पाद शुल्क की प्रभावी दर का पूर्ववर्ती 10 प्रतिशत से बढ़कर ब.अ. में 12 प्रतिशत होना तथा विनिर्माण क्षेत्र में तेजी इन अनुमानों के आधार थे। बजट 2012-13 में निम्नलिखित अन्य परिवर्तन भी किए गए: पेट्रोलियम-भिन्न उत्पादों पर उत्पाद शुल्क की रियायती दर को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत किया गया; सेनवेट क्रेडिट के बिना पेट्रोलियम-भिन्न उत्पादों पर निम्नतर दर को 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत किया गया, इन में कोयला तथा उर्वरक शामिल नहीं थे; उत्पाद शुल्क की दर को बढ़ा कर 22 प्रतिशत से 24 प्रतिशत तथा ऑटोमोबाइलों की कतिपय श्रेणियों पर 22 प्रतिशत+15000 रुपए प्रति वाहन' से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया गया; 65 मि.मी. से अधिक की लम्बाई वाली सिगरेटों (फिल्टर तथा फिल्टर-भिन्न, दोनों) पर विशिष्ट उत्पाद शुल्क बढ़ाया गया; सिगरेट चुरुट तथा सिगारिल्लो पर उत्पाद शुल्क को 12 प्रतिशत या 1370 रुपए प्रति हजार, जो भी उच्चतर

हो, किया गया; बुनियादी उत्पाद शुल्क हस्तनिर्मित बीडियों पर 8 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए प्रति हजार तथा मशीन निर्मित बीडियों पर 19 रुपए से बढ़ाकर 21 रुपए प्रति हजार किया गया। (क्षेत्र विशिष्ट ब्यौरों के लिए बाक्स 3.1 देखें)।

3.19 जहां तक सीमाशुल्क से राजस्व का संबंध है, बजट 2012-13 में सं.अ. 2011-12 की तुलना में 22.0 प्रतिशत की वृद्धि की परिकल्पना की गई थी। सीमाशुल्कों में दो महत्वपूर्ण सामान्य अपचयन शिक्षा सीमाशुल्क के सीवीडी भाग से शिक्षा उपकरण की छूट तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकरण की छूट ताकि ऐसे उपकरणों का दो बार परिकलन करने में बचा जा सके; भारतीय मूल के वयस्क यात्रियों के लिए यात्री सामान नियमों के अंतर्गत शुल्क मुक्त भत्ता 25,000 रुपए से बढ़ाकर 35,000 रुपए (तीन दिन से अधिक समय तक विदेश में रहने के पश्चात् लौटने पर) तथा 12000 रुपए से बढ़ाकर 15000 रुपए (तीन दिन या उससे कम की अवधि के लिए विदेश में रहने के पश्चात् लौटने पर) किया गया है। शुल्क दरों में क्षेत्रक परिवर्तनों की पद्धति को जारी रखते हुए बजट 2012-13 में अनेक क्षेत्र विशिष्ट उपायों की घोषणा की गई (बाक्स 3.2)।

बाक्स 3.2 : सीमा शुल्क में क्षेत्र-विशिष्ट परिवर्तन

- कृषि/कृषि प्रसंस्करण/रोपण क्षेत्र:** (i) गन्ना प्लांट, मूल या कंद फसल कटाई मशीन तथा रोटरी टिल्लर एवं वीडर तथा उनके विनिर्माण के लिए पुर्जों तथा संघटकों पर बुनियादी सीमा शुल्क को 7.5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत किया गया।; (ii) वर्तमान में, खाद्यान्नों तथा चीनी के लिए मंडियों या भांडागारों में यंत्रिकृत प्रहसन प्रणालियां तथा पैलेट रैकिंग प्रणालियों की संस्थापना के लिए परियोजना आयात प्रास्थिति 5 प्रतिशत के बुनियादी सीमाशुल्क की रियायती दर के साथ उपलब्ध है। ऐसी प्रणालियां अतिरिक्त सीमा शुल्क (सीवीडी) तथा विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क (एसएडी)से भी छूट प्राप्त हैं। यही व्यवस्था उद्यान कृषि उत्पादन के लिए मंडियों या भांडागारों में संस्थापित ऐसी प्रणालियों के लिए भी लागू की गई; (iii) उद्यान कृषि तथा फूल उद्यान कृषि उत्पादन की संरक्षित खेती के लिए स्थापित ग्रीनहाऊसों को 5 प्रतिशत के रियायती बुनियादी सीमाशुल्क के साथ परियोजना आयात प्रास्थिति प्रदान की गई; (iv) विनिर्दिष्ट कॉफी रोपण तथा प्रसंस्करण मशीनरी पर बुनियादी सीमाशुल्क 10 प्रतिशत/7.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया (मार्च 2014 तक); (v) कॉफी बूईंग तथा बिक्री मशीनों (वाणिज्यिक किस्म) पर बुनियादी सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया (मार्च 2014 तक)। ऐसी कॉफी बूईंग मशीनों तथा बिक्री मशीनों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित पुर्जों पर भी बुनियादी सीमा शुल्क को घटाकर 2.5 प्रतिशत किया गया; (vi) यूरिया को छोड़कर विनिर्दिष्ट घुलनशील उर्वरकों तथा तरल उर्वरकों पर बुनियादी सीमाशुल्क को क्रमशः 7.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत किया गया।
- ऑटो मोबाइल:** बिना किस्म अनुमोदन के बड़ी कर्से/एमयूवी/एसयूवी के पूर्णतया निर्मित यूनितों पर (मूल्य 40,000 अमरीकी डालर से अधिक तथा इंजन क्षमता पेट्रोल के लिए 3000 सीसी से अधिक तथा डीजल के लिए 2500 सीसी से अधिक) बुनियादी सीमाशुल्क को 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत किया गया।
- धातु:** (i) वैद्युत स्टील के विनिर्माण के लिए लेपन सामग्री पर बुनियादी सीमाशुल्क को वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अध्याधीन 10 प्रतिशत से घटा कर 5 प्रतिशत किया गया; (ii) फेरो-वैनेडियम के विनिर्माण में प्रयुक्त अमोनियम मेटा-वेंडेट पर बुनियादी सीमाशुल्क को 7.5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत किया गया; (iii) निकल आक्साईड/हाइड्रोक्साईड तथा निकल अयस्क/सान्द्र को बुनियादी सीमाशुल्क से पूर्ण छूट दी गई; (iv) सीआरजीओ इस्पात के लिए वर्तमान में उपलब्ध एसएडी से छूट को ऐसे इस्पात की प्राथमिक किस्म तक प्रतिबंधित किया गया; (v) सम्मिश्र-भिन्न इस्पात के फ्लैट रोल किए गए उत्पादों (एच आर तथा सी आर) पर बुनियादी सीमाशुल्क को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत किया गया।
- बहुमूल्य धातुएं:** (i) मानक स्वर्ण की छड़ों तथा प्लेटिनम पर बुनियादी सीमाशुल्क को 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत किया गया; (ii) मानक-भिन्न स्वर्ण पर बुनियादी सीमा शुल्क को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया गया; (iii) परिष्करण के लिए छड़ों, स्वर्ण अयस्क/सान्द्र पर अतिरिक्त सीमा शुल्क को 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत किया गया; (iv) कटे हुए तथा पालिश किए गए रंगीन रत्न पत्थरों पर 2 प्रतिशत का बुनियादी सीमाशुल्क अधिरोपित किया गया।
- पूँजीगत वस्तुएं/अवसंरचना:** (i) लौह अयस्क पेलेट संयंत्रों या लौह अयस्क परिष्करण संयंत्रों की स्थापना या पर्याप्त विस्तार के लिए आयातित पूँजीगत वस्तुओं, संयंत्र तथा उपकरण पर बुनियादी सीमा शुल्क 7.5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत किया गया; (ii) उर्वरक परियोजनाओं की आरम्भिक स्थापना

(जारी...)

बाक्स 3.2 : सीमाशुल्क में क्षेत्र-विशिष्ट परिवर्तन (जारी)

- तथा पर्याप्त विस्तार के लिए बुनियादी सीमाशुल्क से पूर्ण छूट मार्च 2015 तक प्रदान की गई; (iii) भाप कोयला को बुनियादी सीमाशुल्क से पूर्णतया छूट दी गई। ऐसे कोयले पर सीवीडी को 5 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत किया गया (31.3.2014 तक वैध); (iv) किसी विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा विद्युत उत्पादन के लिए आयातित प्राकृतिक गैस/द्रवीकृत प्राकृतिक गैस को बुनियादी सीमाशुल्क से पूर्ण छूट दी गई; (v) नाभिकीय विद्युत के उत्पादन के लिए यूरेनियम सांद्र, सिंटेड प्राकृतिक यूरेनियम डायोक्साइड, सिंटेड यूरेनियम डायोक्साइड की गोलियों को बुनियादी सीमाशुल्क से पूर्ण छूट दी गई; (vi) महानगर विकास प्राधिकारियों द्वारा प्रदत्त सड़क निर्माण परियोजनाओं के लिए आयातित उपकरण को बुनियादी सीमाशुल्क, सीवीडी तथा एसएडी से पूर्ण छूट प्रदान की गई; (vii) सुरंग खोदने की मशीनों तथा हाइड्रल एवं सड़क परियोजनाओं के लिए पुर्जों हेतु वर्तमान में उपलब्ध बुनियादी सीमाशुल्क तथा सीवीडी से पूर्ण छूट को सभी अवसरचना परियोजनाओं के लिए अंत प्रयोग की शर्त के बिना लागू किया गया; (viii) सुरंग की खुदाई तथा विनिर्दिष्ट लाइनिंग उपकरण के लिए भी बुनियादी सीमा शुल्क तथा सीवीडी से पूर्ण छूट अनुमत की गई; (ix) कोयला खनन परियोजनाओं को बुनियादी सीमाशुल्क से पूर्ण छूट दी गई; (x) सर्वेक्षण तथा पूर्वक्षण के लिए मशीनरी तथा उपकरणों के लिए बुनियादी सीमाशुल्क को घटाया गया और एकसमान 2.5 प्रतिशत किया गया; (xi) रेलवे सुरक्षा (ट्रेन संरक्षण और चेतावनी प्रणाली) उपकरण तथा रेलवे की पट्टी बिछाने की मशीनों पर बुनियादी सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत किया गया।
6. **वायु यान तथा पोत:** (i) नए तथा रिट्रिडेड वायु यान टायरों को बुनियादी सीमा शुल्क तथा सीवीडी से पूर्ण छूट प्रदान की गई; (ii) अनुरक्षण, मरम्मत तथा जीर्णोद्धार (एम आर ओ) यूनितों द्वारा आयातित वायुयान के पुर्जों तथा वायुयान के अनुरक्षण एवं मरम्मत हेतु परीक्षण उपकरण को बुनियादी सीमाशुल्क तथा सीवीडी से पूर्ण छूट प्रदान की गई; (iii) तटीय व्यापार के लिए परिवर्तन पर विदेश गामी यानों पर सीमा शुल्क अब भारत में उनके तटीय यानों के रूप में प्रचालन की अवधि के अनुसार आनुपातिक आधार पर प्रभाषित किए जाएंगे; (iv) ड्रेजर्स के आयात पर एस ए डी से पूर्ण छूट अनुमत की गई।
 7. **पर्यावरण संरक्षण:** (i) सौर परियोजनाएं स्थापित करने के उपकरण को एसएडी से पूर्ण छूट अनुमत की गई; (ii) पन ऊर्जा उत्पादकों के लिए रोटरों हेतु मध्यवर्तियों, पुर्जों तथा ब्लेडों के उपपुर्जों के विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री पर बुनियादी सीमाशुल्क को 5 प्रतिशत की रियायती दर लागू की गई; (iii) ससंजक फ्लूरोसेंट लैम्पों के विनिर्माण में प्रयोग हेतु ट्राई बैंड फासफर को बुनियादी सीमाशुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की गई; (iv) हाइब्रिड वाहनों के विनिर्माण हेतु विनिर्दिष्ट पुर्जों के लिए उपलब्ध 6 प्रतिशत सी वी डी सहित बुनियादी सीमा शुल्क तथा एस ए डी से पूर्ण छूट कुछ अतिरिक्त पुर्जों के लिए भी प्रदान की गई; (v) वैद्युत या हाइब्रिड वाहन विनिर्माताओं को आपूर्ति हेतु बैटरी पैकों के विनिर्माण के लिए लीथियम आयोन बैटरियों को 6 प्रतिशत सीवीडी तथा शून्य एस ए डी की सीमाशुल्क व्यवस्था के अंतर्गत लाया गया।
 8. **स्वास्थ्य/पोषण:** (i) आयोडीन पर बुनियादी सीमाशुल्क 5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत किया गया; (ii) प्रथमकृत सोया प्रोटीन तथा सोया प्रोटीन सांद्र पर बुनियादी सीमा शुल्क को क्रमशः 15 प्रतिशत तथा 30 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया गया; (iii) प्रोबियोटिक्स पर बुनियादी सीमाशुल्क को 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया; (iv) छः विनिर्दिष्ट जीवन रक्षी औषधों/टीकों तथा उनके प्रपुंज औषधों पर सीमाशुल्क को 10 प्रतिशत से घटाकर शून्य सी वी डी सहित 5 प्रतिशत किया गया; (v) सिरेंजों, सुइयों, कैथेटर, कॅनुलास के विनिर्माण के लिए विनिर्दिष्ट कच्चे माल हेतु 6 प्रतिशत सीवीडी/उत्पाद शुल्क तथा शून्य एस ए डी के साथ 2.5 प्रतिशत बुनियादी सीमा शुल्क की रियायती आयात शुल्क व्यवस्था वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अध्वधीन विहित की गई; (vi) रक्त दाब मानीटर्स तथा रक्त शर्करा मानीटरिंग यंत्रों (ग्लुकोमीटर्स) के विनिर्माण के लिए पुर्जों तथा संघटकों के लिए 6 प्रतिशत सीवीडी तथा शून्य एसएडी के साथ 2.5 प्रतिशत की बुनियादी सीमाशुल्क की रियायती आयात शुल्क व्यवस्था लागू की गई; (vii) कोरोनरी स्टेंट/कोरोनरी स्टेंट प्रणालियों तथा कृत्रिम हृद वाल्वों के विनिर्माण के लिए इस्पात ट्यूब तथा तार, कोबाल्ट क्रोमियम ट्यूब, हेनेस एलाय-25 तथा पोली प्रोपीलिन जाली के लिए बुनियादी सीमा शुल्क तथा सीवीडी से पूर्ण छूट वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अधीन प्रदान की गई।
 9. **वस्त्र:** (i) नए शटल रहित करधों के विनिर्माण हेतु पुर्जों तथा संघटकों सहित नए शटल रहित करधों पर बुनियादी सीमाशुल्क 5 प्रतिशत से घटाकर शून्य किया गया; (ii) नवीन स्वचालित रेशम चरखी तथा प्रसंस्करण मशीनरी तथा कच्चे रेशम के परीक्षण उपकरण पर बुनियादी सीमाशुल्क 5 प्रतिशत से घटा कर शून्य किया गया; (iii) बुनियादी सीमाशुल्क को 5 प्रतिशत की रियायती दर को केवल नई वस्त्र मशीनरी तक ही सीमित किया गया; (iv) ऊन अपशिष्ट तथा ऊन टॉप पर बुनियादी सीमा शुल्क क्रमशः 10 प्रतिशत तथा 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया; (v) टिटेनियम डायोक्साइड पर बुनियादी सीमाशुल्क को 10 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत किया गया; (vi) रक्षा तथा पुलिस विभाग को आपूर्ति हेतु बुलेट प्रूफ हेलमेटों के विनिर्माण में प्रयुक्त आरामिड धागे तथा फैब्रिक को बुनियादी सीमा शुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की गई।
 10. **इलेक्ट्रॉनिक्स/हार्डवेयर:** (i) बुनियादी सीमा शुल्क से पूर्ण छूट 19 ईंच तथा अधिक के एल सी डी तथा एल ई डी टी वी पैनलों को दी गई; (ii) एल ई डी लैम्पों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित एल ई डी को एस ए डी से छूट प्रदान की गई; (iii) बुनियादी सीमाशुल्क, सी वी डी तथा एस ए डी से पूर्ण छूट का कार्यक्षेत्र मेमोरी कार्डों के पुर्जों के लिए मार्च 2013 तक लागू किया गया; (iv) कनेक्टरों के विनिर्माण के लिए आयातित तांबा, पीतल, फासफर ब्रॉज स्ट्रिप्स तथा समान प्रकार की मर्दों के लिए वर्तमान में उपलब्ध बुनियादी सीमाशुल्क से पूर्ण छूट वापस ले ली गई; (v) दूरसंचार प्रयोग के लिए केबलों तथा कंडक्टरों के विनिर्माण हेतु आयात किए जाने पर पोली-लेमीनेटेड अल्यूमिनियम टेप तथा पोली-लेमीनेटेड स्टील टेप के लिए वर्तमान में उपलब्ध बुनियादी सीमाशुल्क से पूर्ण छूट को वापस ले लिया गया।
 11. **निर्यात संवर्धन:** (i) जलचर संवर्धन के लिए फाईबर इम्पेलर्स तथा स्वचालित मत्स्य/केंकड़ा फीडर्स वाले समुद्री समुद्र जल पम्पों पर बुनियादी सीमा शुल्क को 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया; (ii) आर्टीमिया पर बुनियादी सीमाशुल्क 30 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया।
 12. **कागज:** रद्दी कागज को बुनियादी सीमाशुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की गई।
 13. **एस ए डी:**-पीतल स्क्रैप तथा टिम्बर के लॉगों को एसएडी से पूर्ण छूट प्रदान की गई।
 14. **प्रकीर्ण:** (i) कतिपय विनिर्देशनों के डिजिटल स्टील कैमरों पर 10 प्रतिशत का बुनियादी सीमाशुल्क लगाया गया; (ii) बोरिक एसिड पर बुनियादी सीमाशुल्क 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत किया गया; (iii) बायलरों के विनिर्माण के लिए बायलर क्वालिटी ट्यूबों तथा पाइपों पर बुनियादी सीमा शुल्क अंत प्रयोग की शर्त के अधीन 10 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत किया गया; (iv) एडल्ट डायपर्स के विनिर्माण हेतु हाइड्रोफिलिक बिना बुने, हाइड्रोफोबिक बिना बुने तथा सुपर एब्साबेंट पोलीमर के आयातों के लिए 5 प्रतिशत बुनियादी सीमा शुल्क का रियायती सीमा शुल्क +6 प्रतिशत सी वी डी +शून्य एसएडी वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अधीन विहित किया गया; (v) 113 विनिर्दिष्ट परियोजनाओं को छोड़कर मेगा/अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं से सीमा शुल्क से पूर्ण छूट वापस ले ली गई।

संग्रहण दरें

3.20 सांविधिक सीमाशुल्क दर की प्रयोज्यता में दी गई बड़ी संख्या में छूटों को देखते हुए आयातों के मूल्य में वृद्धि का अनिवार्यतः यह निहितार्थ नहीं है कि सीमाशुल्क राजस्व में भी समरूप वृद्धि हुई है। संग्रहण दरें आयातों के प्रतिसंतुलनकारी तथा विशेष अतिरिक्त शुल्कों सहित सीमाशुल्क प्रशुल्कों के समग्र प्रभाव का एक संकेतक हैं। इनका परिकलन एक वर्ष (या अवधि) में आयातों के सकल मूल्य के प्रति इन शुल्कों से संग्रहित राजस्व के अनुपात के रूप में किया जाता है तथा इस प्रकार ये व्यापार-भारित प्रशुल्कों के घातक हैं। विगत वर्षों में महत्वपूर्ण वस्तु समूहों की दरों के साथ-साथ सभी वस्तुओं को इकट्ठे लेते हुए दरों के रुझान सारणी 3.5 में दर्शाए गए हैं। दरों में गिरावट का एक प्रमुख कारण पैट्रोलियम, तेल तथा स्नेहकों (पी ओ एल) सहित अनेक मदों पर शुल्कों के निम्नतर स्तर रहे हैं, जिस का महत्वपूर्ण आयात मूल्य है तथा विभिन्न छूटों का प्रभाव तो इसका कारण है ही। समग्र स्तर पर, बुनियादी सीमा शुल्कों तथा सीवीडी की साधारण औसत प्रशुल्क दरों के स्तर के तुलना में वर्ष 2011-12 में लगभग 6 प्रतिशत की प्रभावी कर दर छूटों के प्रभाव को निर्दिष्ट करती है।

सेवाकर

3.21 वर्ष 2011-12 में, सेवा कर राजस्व में वृद्धि 37.4 प्रतिशत थी जिसकी राशि 97,579 करोड़ रुपए थी जिससे निर्दिष्ट होता है

कि सेवा कर राजस्व के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उभर रहा है। बजट 2012-13 में सेवाकर से राजस्व में 2011-12 (सं.अ.) की तुलना में 30.5 प्रतिशत की वृद्धि की परिकल्पना की गई है। यह दर को विद्यमान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने तथा कराधार में परिवर्तन पर आधारित है (सारणी 3.6)। सेवा सूची को विस्तारित करने की सामान्य पद्धति के विपरीत, बजट 2012-13 में पहली, जुलाई 2012 से प्रभावी एक 'नकारात्मक सूची' दृष्टिकोण की शुरुआत की गई है। नकारात्मक सूची दृष्टिकोण को प्रचालनरत करने के लिए वित्त अधिनियम 1994 के अध्याय V में (जब सेवाकर की आरम्भतः शुरुआत की गई थी) अनेक परिवर्तन किए गए हैं। रेलवे द्वारा सामान के साथ या उसके बिना प्रथम श्रेणी में या किसी वातानुकूलित कोच में यात्री संहवन की सेवा तथा रेलवे द्वारा माल के संहवन द्वारा सेवाओं पर पहली अक्टूबर 2012 से सेवा कर लगाया गया है। सेवा कर की दर में संशोधन के पश्चात्, विदेशी मुद्रा के क्रय तथा बिक्री के संबंध में सेवाओं के लिए कर की विशिष्ट तथा चक्रवृद्धि दरों में भी परिवर्तन किए गए हैं जिनमें मुद्रा परिवर्तन; लॉटरी के संवर्धन, विपणन, आयोजन, या आयोजन में किसी भी प्रकार की सहायता देना; तथा नियम 6(3)(i) के तहत सेनवेट क्रेडिट का प्रतिवर्तन शामिल है।

3.22 वित्त अधिनियम 1994 में अनेक संशोधन तथा सेवा कर के उद्ग्रहण को शासित करने वाले नियमों में अनेक परिवर्तन किए

सारणी 3.5 : चुनिंदा आयात समूहों के लिए संग्रहण दरें*

		(प्रतिशत)					
क्रम	वस्तु समूह संख्या	2006-7	2007-8	2008-9	2009-10	2010-11	2011-12
I	पी ओ एल	5	6	3	2	6	3
II	पी ओ एल भिन्न जिसमें से	12	13	9	8	9	7
	1. खाद्य उत्पाद	23	19	4	3	3	3
	2. रसायन	22	22	16	14	17	14
	3. मानव-निर्मित रेशे	28	30	17	22	30	22
	4. कागज तथा अखबारी कागज	10	10	8	8	8	7
	5. प्राकृतिक रेशे	12	13	6	4	5	3
	6. धातुएं	24	24	17	17	22	20
	7. पूंजीगत वस्तुएं	14	16	13	11	13	12
	8. अन्य	6	6	4	4	4	4
III	कुल	10	10	7	6	8	6

स्रोत : राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय

टिप्पणी: * संग्रहण दर को राजस्व संग्रहण (बुनियादी सीमा शुल्क + प्रतिकारी शुल्क) का छूटों के लिए असमायोजित (प्रतिशत) आयातों के मूल्य के प्रति प्रतिशतता में व्यक्त अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है।

क्रम सं. 1 में अनाज, दालें, चाय, दूध तथा क्रीम, फल, सब्जियां, पशु वसा तथा शर्करा शामिल हैं।

क्रम सं. 2 में रसायन तत्व, समिश्र, भेषज, रंजक तथा रंगाई सामग्री, प्लास्टिक एवं रबड़ शामिल हैं।

क्रम सं. 4 में लुगदी तथा रद्दी कागज, अखबारी कागज, गल्ले तथा विनिर्मित उत्पाद एवं मुद्रित किताबें शामिल हैं।

क्रम सं. 5 में कच्ची ऊन तथा रेशम शामिल हैं।

क्रम सं. 6 में लोहा तथा इस्पात और अलौह धातुएं शामिल हैं।

क्रम सं. 7 में गैर-इलैक्ट्रॉनिक मशीनरी, परियोजना आयात तथा वैद्युत मशीनरी शामिल हैं।

सारणी 3.6 : सेवा कर—बढ़ता हुआ राजस्व स्रोत

वर्ष	सेवाओं की संख्या	कर दर प्रतिशत में	राजस्व (₹ करोड़ में)	गत वर्ष की तुलना में संवृद्धि प्रतिशत में
2004-5	75	10	14200	80.0
2005-6	78	10	23055	62.4
2006-7	92	12	37598	63.1
2007-8	98	12	51301	36.4
2008-9	106	12*	60941	18.8
2009-10	109	10	58422	-4.1
2010-11	117	10	71016	21.6
2011-12(अ)	119	10	97579	37.4
2012-13 (अप्रैल-दिसम्बर)@	नकारात्मक सूची #	12	80927	33.0

स्रोत: प्राप्ति बजट तथा लेखा महानियंत्रक।

* 24 फरवरी 2009 से घटाकर 10 प्रतिशत किया गया।

@ वर्ष 2012-13 (अप्रैल-दिसम्बर) हेतु वृद्धि पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में है।

1 जुलाई, 2012 से ऋणात्मक सूची प्रस्ताव में अंतरित

गए हैं, इन में ये शामिल हैं: सेवाओं के प्रावधान का स्थान नियमावली 2012; नवीन प्रतिवर्ती प्रभार प्रक्रम; सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004; सेवा कर नियमावली 1994; तथा कराधान स्थल नियमावली, 2011 (बाक्स 3.3)

कर व्यय

3.23 विभिन्न अनुसूचियों में अधिसूचित करों की सांविधिक दरों तथा कराधान की वास्तविक या प्रभावी दर जो अनिवार्यतः कराधार के प्रति संग्रहित कर राजस्व का सरल अनुपात है, के बीच महत्वपूर्ण अंतर है। यह अनुसूची में विनिर्दिष्ट कर दर में छूटों के कारण उत्पन्न होती है। जैसाकि पहले संग्रहण दरों संबंधी संभाग में निर्दिष्ट किया गया है, हानि हुए राजस्व (कर व्यय) का परिमाण वस्तुतः उच्च है। प्राप्ति बजट 2012-13 में, वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के लिए नैगम आय कर के तहत छूटों के कारण हानि हुए कर का एमएटी को घटाकर क्रमशः 57,912 करोड़ रुपए तथा 51,292 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया था। नैगम करदाताओं के मामले में, त्वरित मूल्यहास के कारण छूट, विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अवस्थित निर्यातोन्मुखी यूनियों के लिए छूट तथा विद्युत एवं दूरसंचार क्षेत्रों में व्यवसायों के लाभ कुछ प्रमुख प्रोत्साहन थे। छूटों की निरपेक्ष मात्रा लाभ-संबद्ध छूटों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के परिणामस्वरूप कम हो गई है। इसके अतिरिक्त, एमएटी के उद्ग्रहण के परिणामस्वरूप कारपोरेटों के मामले में कराधान की प्रभावी दर उच्चतर हुई है जो वर्ष

2006-07 में 20.55 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2010-11 में 24.1 प्रतिशत हो गई है। व्यष्टि करदाताओं के लिए वैयक्तिक आयकर के तहत छूटों के कारण हानि हुए कर के वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 में क्रमशः 30,653 करोड़ रुपए तथा 35,698 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया था। वैयक्तिक आयकर के तहत हानि हुए राजस्व का प्रपुंज भाग आयकर अधिनियम की धारा 80ग के तहत कतिपय भुगतानों तथा निवेशों को दी गई छूटों के कारण था।

3.24 जहां तक अप्रत्यक्ष करों का संबंध है, हानि हुए राजस्व को संदेय शुल्क जो संदेय होता यदि छूट की अधिसूचना जारी न की गई होती तथा संगत अधिसूचना के संदर्भ में वस्तुतः प्रदत्त शुल्क के बीच अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है। उत्पाद शुल्क के संबंध में वित्त वर्ष 2011-12 के लिए हानि हुए राजस्व को 2,12,167 करोड़ रुपए पर अनुमानित किया गया है जिसमें क्षेत्राधारित छूटों के कारण 12,880 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। सीमाशुल्क संबंधी सभी छूट अधिसूचनाओं के कारण वर्ष 2010-11 के लिए हानि हुए शुल्क की राशि 2,30,131 करोड़ रुपए अनुमानित की गई है जो वर्ष 2009-10 में हानि हुए 2,33,950 करोड़ रुपए के अनुमानित शुल्क की तुलना में है। वर्ष 2011-12 में इसके बढ़कर 2,76,093 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। ये सभी अनुमान कतिपय अवधारणाओं पर आधारित हैं तथा उनकी व्याख्या सावधानीपूर्वक की जानी होगी तथा विभिन्न उत्पादों के लिए भिन्न-भिन्न नम्यताओं वाले गत्यात्मक बाजारों में

बॉक्स 3.3 : सेवा कर में परिवर्तन

1. **सेवाओं के प्रावधान का स्थान नियमावली 2012** परिवर्तनों का एक महत्वपूर्ण संघटक सेवाओं के प्रावधान का स्थान नियमावली 2012 की शुरूआत है। नए नियमों ने विद्यमान सेवाओं का निर्यात नियमावली 2005 तथा सेवाओं का कराधान (भारत के बाहर से प्रदत्त तथा भारत में प्राप्त) नियमावली 2006 को प्रतिस्थापित किया है। निर्यात नियमावली का नियम 5 सेवा कर नियमावली में समाविष्ट किया गया है।
2. **वित्त अधिनियम 1994 में संशोधन** वित्त अधिनियम 1994 के अध्याय V में निम्न प्रयोजनार्थ संशोधन किए गए हैं:— (i) यह विहित करना कि कर योग्य सेवा का मूल्य (विशेषकर कर योग्य सेवाओं के आयात तथा निर्यात के मामले में) तथा कर की दर का निर्धारण कराधान का स्थल नियमावली 2011 के संदर्भ में किया जाएगा; (ii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की रूपरेखा पर सेवा कर कानून में विशेष लेखापरीक्षा से जुड़े प्रावधान पुरः स्थापित करना। अब विशेष लेखापरीक्षा का आदेश विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में दिया जा सकता है। परिणामतः धारा 14कक को धारा 83 से हटा दिया गया है; (iii) वित्त अधिनियम 1994 की धारा 73(1) के तहत विहित अपराधों की विनिर्दिष्ट श्रेणी के लिए नोटिस जारी करने की समय सीमा को एक वर्ष से बढ़ाकर 18 माह करना। वित्त अधिनियम 1994 की धारा 73 में एक नई उप-धारा (1क) यह विहित करने के लिए शामिल की गई है कि समान आधारों पर जारी अनुवर्ती नोटिसों में आधारों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है बल्कि अनुवर्ती अवधि के लिए प्रभार्य केवल सेवा कर की राशि का ही कथन किया जाएगा। अनुवर्ती अवधि के लिए देय कर का विवरण, जिसे पूर्ववर्ती मांग नोटिस के संदर्भ में निर्धारितियों को तामील किया जाएगा, वित्त अधिनियम 1994 की धारा 73(1) के तहत एक नोटिस माना जाएगा; (iv) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1994 में सन्निहित समरूप प्रावधानों के समनुरूप निपटान आयोग प्रावधानों को सेवा कर पर प्रयोज्य किया जाए; (v) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 35डड में विहित संशोधन प्रक्रम को यथासंभव सीमा तक सेवा कर पर प्रयोज्य किया जाए; (vi) निर्धारिती अपील को आयुक्त (अपील) तथा राजस्व अपील को अधिकरण के समक्ष दायर करने की परिसीमा को सुमेल बनाने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 35 तथा 35ड की रूपरेखा पर धारा 85 तथा 86 में संशोधन करना; (vii) निम्नलिखित के लिए शक्तियां प्राप्त करना (क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपराधों का प्रशमन) नियमावली 2005 की रूपरेखा पर प्रशमन के तरीके की व्यवस्था करना तथा अपराधों के प्रशमन की राशि विनिर्दिष्ट करना; (ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की रूपरेखा पर मामलों के निपटान हेतु नियम उपबन्धित करना।
3. **नवीन प्रतिवर्ती प्रभार प्रक्रम:** (i) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 68(2) में संशोधन कर प्रतिवर्ती प्रभार आधार पर सेवा कर के भुगतान का उत्तरदायित्व अंशतः सेवा प्रदायक पर तथा अंशतः सेवा ग्राही पर डाला गया है। यह योजना तीन विशिष्ट सेवाओं पर प्रयोज्य की गई है अर्थात् परिवहन के साधन किराए पर लेना; निर्माण तथा जनशक्ति आपूर्ति तथा सुरक्षा सेवाएं; (ii) उपर्युक्त परिवर्तन के परिणामस्वरूप, सेवा कर नियमावली 1994 के नियम 2(1) (घ) में उपबन्धित 'अदा करने के लिए दायी व्यक्ति' की संकल्पना में भी उपयुक्त संशोधन किया गया है।
4. **अचल सम्पत्ति किराए पर लेने की सेवा** अचल सम्पत्ति किराए पर लेने संबंधी सेवा कर के उद्ग्रहण की सांविधानिक वैधता मुकदमे का विषय वस्तु रही है जो माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों समाहित राजस्व अनुकूल न्यायालय अधिनियमों की घोषणा में परिणामी हुई है। एक समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए, सरकार ने उन करदाताओं के लिए शास्ति को माफ करने का निर्णय लिया है जो अचल सम्पत्ति किराए पर लेने की सेवा पर देय सेवाकर (6.3.2012 की स्थिति के अनुसार) की पूर्णराशि ब्याज सहित अदा कर देते हैं। इस प्रयोजनार्थ, वित्त अधिनियम 1994 में एक नवीन धारा 80क समाविष्ट की गई है। शास्ति माफी की यह योजना वित्त विधेयक 2012 के अधिनियमन की तिथि से केवल छः माह की अवधि के लिए ही खुली थी।
5. **नियमों में संशोधन:** (i) सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 में निम्नानुसार संशोधन किए गए हैं:— (क) निर्यातों के लिए अनप्रयुक्त क्रेडिट के प्रतिदाय हेतु प्रक्रियाविधि को सरल बनाने के लिए विद्यमान नियम 5 को एक नए नियम से प्रतिस्थापित किया गया है। (ख) मोटर वाहनों पर (सिवाए शीर्ष संख्या 8702, 8703, 8704, 8711 के अंतर्गत आने वाले मोटर वाहनों तथा उनके चेसिसों के) क्रेडिट अनुमत किया गया है। ऐसे वाहनों की किराए पर आपूर्ति, बीमा तथा मरम्मत पर अदा किए गए कर का क्रेडिट भी अनुमत है; (ग) बीमा तथा सेवा केन्द्र सेवा का क्रेडिट निम्न के लिए अनुमत है:— (i) बीमा कम्पनियों को उनके द्वारा बीमित तथा पुनः बीमित मोटर वाहनों के संबंध में; तथा (ii) विनिर्माताओं को उनके द्वारा विनिर्मित मोटर वाहनों के संबंध में; (घ) नियम 4(1) तथा 4(2) में संशोधन कर सेवा प्रदायक को विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन निविष्टियों या पूंजीगत वस्तुओं का क्रेडिट लेने की अनुमति दी गई है जब भी वस्तुओं का परिदाय उसे किया जाता है। (ङ) निविष्टि सेवा वितरकों के लिए नियम 7 में यह व्यवस्था करने हेतु संशोधन किया गया कि पूर्णरूपेण एक यूनिट में प्रयुक्त सेवा पर आरोप्य सेवा कर का क्रेडिट केवल उस यूनिट को ही वितरित किया जाएगा तथा यह कि एक से अधिक यूनिट में प्रयुक्त सेवा पर आरोप्य सेवा कर का क्रेडिट सभी यूनिटों, जिनसे सेवा संबंधित है, के कारोबार की कुल राशि के प्रति संबंधित यूनिट के कारोबार के आधार पर यथानुपात वितरित किया जाएगा। (च) नियम 9(1) (ड) में संशोधन कर सेवा ग्राही द्वारा सेवा कर के भुगतान के मामले में प्रतिवर्ती प्रभार आधार पर कर भुगतान चालान पर क्रेडिट प्राप्त करने की अनुमति दी गई है।
- (ii) **सेवा कर नियमावली, 1994 में निम्न प्रकार संशोधन किया गया है:**— क) इनवायस जारी करने के लिए नियम 4 क में उपबन्धित समयवधि को बढ़ाकर 30 दिन कर दिया गया है। बैंकिंग तथा अन्य वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाले बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के लिए यह अवधि 45 दिन है; (ख) अनुज्ञेय समायोजनों की असीमित प्रमात्रा अनुमत करने के लिए नियम 6 (4क) में संशोधन किया गया है। (ग) निर्यात के मामले में तथा आठ विनिर्दिष्ट सेवाएं प्रदान करने वाले व्यष्टियों तथा फर्मों के लिए कराधान का स्थल कराधान स्थल नियमावली से सेवा कर नियमावली में अंतरित किया गया है; (घ) निर्यातकों के मामले में, भारतीय रिजर्व बैंक (भा.रि.बैं.) द्वारा उस अवधि, जिस के लिए कर देयता आस्थगित करने की अनुमति दी गई है, में शामिल विशिष्ट अनुरोधों पर अवधि को बढ़ाया गया। (ङ) विशिष्ट सेवाओं के बजाए सभी सेवा प्रदायकों के लिए आस्थगित, भुगतान का विकल्प अनुमत किया गया। यह सुविधा कर योग्य सेवाओं के 50 लाख रुपए तक के कारोबार के लिए केवल व्यक्तियों तथा भागीदारी फर्मों (सीमित देयता भागीदारी) को ही इस शर्त के अध्वधीन उपलब्ध है कि विगत वर्ष में कर योग्य सेवाओं का उनका कारोबार 50 लाख रुपए से कम था। उक्त सीमाओं का परिकलन करने के लिए सम्पूर्ण निकाय के कारोबार को जोड़ा जाना है तथा किसी एकल पंजीकरण को नहीं।
- (iii) **कराधान स्थल नियमावली 2011 में निम्न प्रयोजनार्थ संशोधन किए गए हैं:**— (क) संकल्पना के सम्पूर्ण आयात को अधिग्रहीत करने के लिए अनवरत सेवा आपूर्ति की परिभाषा में परिवर्तन करना अर्थात् सेवाओं का आवर्ती स्वरूप तथा आवधिक या समय समय पर भुगतान करने की बाध्यता/देयता; (ख) अनवरत सेवापूर्ति के संबंध में नियम 6 का लोप करना तथा उसका नियम 3 में विलय करना। कर की प्रभावी दर में परिवर्तन तथा नई सेवाओं के कराधान को शामिल करने वाली स्थितियों से संबद्ध नियम 4 तथा 5 अब सेवाओं की अनवरत आपूर्ति पर भी प्रयोज्य हैं; (ग) भुगतान की तिथि को परिभाषित करना; (घ) इन्वायस में निर्दिष्ट राशि से अधिक प्राप्त 1000 रुपए तक के अग्रिमों के संबंध में कराधान स्थल का निर्धारण भुगतान के बजाए इन्वायस या सेवा की आपूर्ति के आधार पर करने का विकल्प देना; तथा (ङ) कराधान के स्थल का उन मामलों में सुनिश्चय करने के लिए एक नए अवशिष्ट नियम को समाविष्ट करना जहां इसका सुनिश्चय विहित नियमों द्वारा न किया जा सका हो।

वास्तविक परिणाम काफी भिन्न हो सकता है। फिर भी, छूटों को सीमित करने या मामला-दर-मामला आधार पर उन्हें संरक्षण प्रदान करने के लाभ का तर्काधार है ताकि एक अपेक्षाकृत व्यापक कराधार के जरिए परिपूर्ण कर संभाव्यता की वसूली की जा सके।

कर-भिन्न राजस्व

3.25 वर्ष 2009-10 को समाप्त 10 वर्षों में कर भिन्न राजस्व 7.6 प्रतिशत की चक्रवर्ती वार्षिक दर पर बढ़े। वर्ष 2010-11 में उछाल दूर संचार 3जी/ब्रॉडबैंड वायरलेस अभिगम स्पेक्ट्रम की नीलामी की आय से बजटीय व्यवस्था से उच्चतर वसूली के कारण आया था। वर्ष 2011-12 (ब.अ.) में ₹ 1,25,435 करोड़ रुपए के अनुमानित राजस्व की तुलना में वसूली ₹ 1,24,307 करोड़ रुपए पर मामूली सी कम थी बावजूद इस तथ्य के कि दूरसंचार स्पेक्ट्रम तथा के चरण प् एफ एम रेडियो की नीलामियां, जिनसे ₹ 14,600 करोड़ रुपए प्राप्त होने थे, नहीं की जा सकी थी। बजट 2012-13 में कर भिन्न राजस्व में 2011-12 (सं. अ.) की तुलना में 32.0 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया था जो मुख्यतः दूरसंचार स्पेक्ट्रम नीलामी से ₹ 40,000 करोड़ रुपए की अनुमानित प्राप्तियों के कारण थी। चूंकि 2जी दूरसंचार स्पेक्ट्रम की नीलामी को चालू वर्ष में उच्च प्रारक्षित कीमत के कारण मंद अनुक्रिया मिली सरकार ने प्रारक्षित कीमत में अधोमुखी संशोधन किया है। इस प्रकार, इस संघटक से आय अभी भी वर्ष 2012-13 के लिए वास्तविक राजकोषीय परिणाम के लिए एक महत्वपूर्ण जोरिखम है। एक अन्य मुख्य संघटक लाभांश तथा लाभ हैं जिनकी संवृद्धि भी विगत में मंद रही है।

ऋण-भिन्न पूंजीगत प्राप्तियां

3.26 ऋणों की वसूलियां तथा विनिवेश ऋण भिन्न पूंजीगत विविधता की दो प्रमुख प्राप्तियां हैं। वर्ष 2011-12 (अंतिम वास्तविक आंकड़े) में ₹ 16,897 करोड़ रुपए की तुलना में, बजट 2012-13 में इस वर्ष ऋण की वसूलियां ₹ 11,650 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। केन्द्र से सरकारों को ऋण मध्यस्थता के विरुद्ध 12वें वित्त आयोग की सिफारिश के साथ युग्मित यह तथ्य कि ऋण की ऐसी वसूलियां प्राप्ति पक्ष में एक लघु स्रोत बन गई हैं; विनिवेश द्वारा अपेक्षाकृत अधिक महत्व के ग्रहण में परिणामी हुआ है। वर्ष 2011-12 में विनिवेश के तहत बजटीय व्यवस्था किए गए ₹ 40,000 करोड़ रुपए की तुलना में, वास्तविक प्राप्तियां मंद वित्तीय बाजार दशाओं के कारण ₹ 15,622 करोड़ रुपए थी। वर्ष 2012-13 के बजट में यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2012-13 में ₹ 30,000 करोड़ रुपए उपार्जित होंगे। अप्रैल-दिसम्बर 2012 में, इस शीर्ष के तहत प्राप्तियां ₹ 8,178 करोड़ रुपए की थीं। सरकार ने विनिवेश की प्रक्रिया को त्वरित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। आर्थिक

कार्यों संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने निम्न में विनिवेश को अनुमोदित कर दिया है।

- क) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) नियमों, तथा विनियमों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंजों के जरिए शेयरों की बिक्री के लिए पेशकश के माध्यम से एमएमटीसी की 9.33 प्रतिशत प्रदत्त इक्विटी का भारत सरकार की 99.33 प्रतिशत की धारिता में से विनिवेश।
- ख) सेबी नियमों तथा विनियमों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंजों के जरिए शेयरों की बिक्री के लिए पेशकश के माध्यम से आयल इण्डिया लि. की 10 प्रतिशत प्रदत्त इक्विटी का भारत सरकार की 78.43 प्रतिशत की धारिता में से विनिवेश।
- ग) नेशनल अल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड में 12.15 प्रतिशत प्रदत्त इक्विटी का विनिवेश।
- घ) हिन्दुस्तान कॉपर लि. में 9.59 प्रतिशत इक्विटी का विनिवेश।
- ङ) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) लि. में 9.50 प्रतिशत प्रदत्त इक्विटी पूंजी का भारत सरकार की 84.50 प्रतिशत की शेयर धारिता में से विनिवेश आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने सेबी नियमों तथा विनियमों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंजों के जरिए शेयरों की बिक्री के लिए पेशकश के माध्यम से एनटीपीसी लि. की 9.50 प्रतिशत इक्विटी का विनिवेश इस की 84.50 प्रतिशत की धारिता में से करने का अनुमोदन प्रदान कर दिया है।
- च) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सूचीबद्ध उद्यमों (सीजीएमई) के स्टॉकों के लिए एक्सचेंज-व्यापारित निधि का भी प्रस्ताव किया जा रहा है।

बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक राजस्व प्राप्ति

3.27 विभिन्न करों, कर-भिन्न राजस्व तथा विनिवेश प्राप्तियों के संदर्भ में विगत संभाग में चर्चा की गई ऋण-भिन्न प्राप्तियों में अनुमानित वृद्धि की तुलना में वर्तमान राजकोष वर्ष के प्रथम नौ महीनों में वास्तविक परिणाम इस वर्ष के लिए मार्क्स मैनिशप में चुनौती निर्दिष्ट करता है (सारणी 3.7) 1 अप्रैल-दिसम्बर, 2012 में सकल कर राजस्व वर्षानुवर्ष 15 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 6,81,345 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। जबकि वृद्धि का यह स्तर अप्रैल-दिसम्बर 2011 में 12.2 प्रतिशत की वृद्धि से कहीं अधिक है, ब.अ. 2012-13 द्वारा परिकल्पित वृद्धि से यह महत्वपूर्ण रूप से कम है। ब.अ. के अनुपात के रूप में अप्रैल-दिसम्बर 2012 में सकल कर राजस्व 63.2 प्रतिशत था जो 69.0 प्रतिशत की विगत

पंच वर्षीय औसत से निम्नतर है। अप्रैल-दिसम्बर में वृद्धि के इस स्तर में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में 17.4 प्रतिशत की वृद्धि; सीमाशुल्क में 6 प्रतिशत की वृद्धि; वैयक्तिक आयकर में 22.5 प्रतिशत की वृद्धि; सेवाकर में 33 प्रतिशत की वृद्धि; तथा नैगम आयकर में 10.6 प्रतिशत की वृद्धि शामिल है। वर्ष 2011-12 के अर्नातिम वास्तविक आंकड़ों की तुलना में ब.अ. 2012-13 में परिकल्पित अंतर्हित वर्षानुवर्ष वृद्धि के संदर्भ में, चालू राजकोषीय वर्ष के प्रथम नौ महीनों में नैगम आयकर में 4.9 प्रतिशतांक बिन्दुओं की कमी, सीमाशुल्क में 18.9 प्रतिशतांक बिन्दुओं की कमी तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में 16 प्रतिशतांक बिन्दुओं की कमी रही। सेवाकर संग्रहण में 5.9 प्रतिशतांक बिन्दु का तथा वैयक्तिक आयकर संग्रहण में 7.6 प्रतिशतांक बिन्दु का अति निष्पादन रहा है। समग्र सकल कर राजस्व के संदर्भ में कमी अप्रैल-दिसम्बर 2012 में 6 प्रतिशतांक रही है। विगत वर्ष की पिछली तिमाही में अवलोकित

संग्रहण के आधार पर, कर राजस्व संग्रहण में कमी को कुछ अतिरिक्त प्रयासों के साथ कम किया जा सकता था।

3.28 इन के अलावा, अप्रैल-दिसम्बर, 2012 में कर-भिन्न राजस्व ₹86,380 करोड़ रुपए आंका गया है जो ब.अ. का 52.5 प्रतिशत बैठता है जो विगत पंचवर्षीय औसत से काफी कम है। यह परिणाम अब तक 2जी स्पेक्ट्रम की नीलामी से निम्नतर वसूली के कारण है। ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों में विनिवेश प्राप्तियों के कारण अप्रैल-दिसम्बर 2012 में महत्वपूर्ण कमी रही है क्योंकि ₹30,000 करोड़ रुपए की बजटीय व्यवस्था की गई राशि में से केवल ₹8,178 करोड़ रुपए की वसूली हुई है। इस प्रकार, अप्रैल-दिसम्बर 2012 में ऋण-भिन्न प्राप्तियों के संदर्भ में समग्र परिणाम की राशि ₹5,86,424 करोड़ रुपए थी जो ब.अ. का 60.0 प्रतिशत बैठती है जिससे बेहतर लक्ष्य प्राप्ति हेतु वर्तमान राजकोषीय वर्ष की चौथी तिमाही में कड़ी चुनौती निर्दिष्ट होती है।

सारणी 3.7 : केन्द्र सरकार के वित्त साधन

(1)	बजट अनुमान 2012-13 (2)	अप्रैल-दिसंबर		कॉलम 4 (ब.अ.) 2012-13 के % रूप में (5)	2011-12 की तुलना में % परिवर्तन कॉलम (3) की तुलना में कॉलम (4) (6)
		2011-12 (3)	(4)		
		(₹ करोड़)			
1. राजस्व प्राप्तियां [(ii)+(iii)]	935685	498491	570536	61.0	14.5
(i) सकल कर राजस्व	1077612	592348	681345	63.2	15.0
(ii) कर (केन्द्र को निवल)	771071	420414	484156	62.8	15.2
(iii) कर-भिन्न राजस्व	164614	78077	86380	52.5	10.6
2. पूंजी प्राप्तियां	555241	397870	420587	75.7	5.7
(i) ऋण की वसूली	11650	14115	7710	66.2	-45.4
(ii) अन्य प्राप्तियां	30000	2743	8178	27.3	198.1
(iii) उधार और अन्य देयताएं	513590	381012	404699	78.8	6.2
3. कुल प्राप्तियां (1+2)	1490925	896361	991123	66.5	10.6
4. आयोजना-भिन्न व्यय (i)+(ii)	969900	619457	695233	71.7	12.2
(i) राजस्व लेखा जिसमें से	865596	550692	625598	72.3	13.6
ब्याज अदायगियां	319759	179429	201959	63.2	12.6
मुख्य सॉफ्टवेयरियां	179554	104181	166824	92.9	60.1
पेंशन	63183	40454	44839	71.0	10.8
(ii) पूंजी लेखा	104304	68765	69635	66.8	1.3
5. आयोजना व्यय (i)+(ii)	521025	276904	295890	56.8	6.9
(i) राजस्व लेखा	420513	233903	242975	57.8	3.9
(ii) पूंजी लेखा	100512	43001	52915	52.6	23.1
6. कुल व्यय (4)+(5)=(i)+(ii)	1490925	896361	991123	66.5	10.6
(i) राजस्व व्यय जिसमें पूंजी आस्तियों के सृजनार्थ अनुदान	1286109	784595	868573	67.5	10.7
(ii) पूंजी व्यय	164672	84149	74283	45.1	-11.7
(ii) पूंजी व्यय	204816	111766	122550	59.8	9.6
7. राजस्व घाटा	350424	286104	298037	85.1	4.2
8. प्रभावी राजस्व घाटा	185752	201955	223754	120.5	10.8
9. राजकोषीय घाटा	513590	381012	404699	78.8	6.2
10. प्राथमिक घाटा	193831	201583	202740	104.6	0.6

स्रोत: लेखा महानियंत्रक, वित्त मंत्रालय।

व्यय की प्रवृत्तियां

3.29 विकास की काफी अधिक पूरी न हुई न्यूनतम आवश्यकताओं को देखते हुए तथा संसाधन उपलब्धता का लाभ उठाते हुए वार्षिक बजटों में एफआरबीएम अधिदेश के तहत अपेक्षित राजकोषीय घाटे के स्तर पर यथेष्ट ध्यान देते हुए वर्ष के लिए उपगत किए जाने वाले व्यय का अनुमान लगाया गया है। राजकोषीय समेकन के भाग के रूप में व्यय में तीव्र अपचयन ब्याज अदायगियों, रक्षा, सिविल सेवा वेतन तथा पेंशन, इत्यादि पर प्रतिबद्ध व्यय के स्तर द्वारा बाधित होता है जो एक ओर राजस्व प्राप्तियों के एक बड़े भाग को विनियोजित कर लेता है तथा दूसरी ओर विकास व्यय को बढ़ाने की आवश्यकता है जो सामाजिक संरक्षण तथा मानव विकास के जरिए जनसाधारण के कल्याण के स्तर को बढ़ाने के लिए अत्यधिक संवेदी है। इस प्रकार वार्षिक बजट को व्यय को कम करने की आवश्यकता, जिसे प्रमुख व्यय संघटकों में संरचनात्मक कठोरताओं के मद्देनजर विकासवात्मक-भिन्न माना जाता है तथा समावेशी वृद्धि के लिए विकास व्यय के स्तरों को बढ़ाने की आवश्यकताओं के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए रखना है। इसी संदर्भ में क्रमिक बजटों में व्यय के पुनः पूर्विकता निर्धारण पर संकेन्द्रण किया गया है।

3.30 वैश्विक संकट से पूर्व रा.उ.ब.प्र पश्च अवधि में, स.घ.उ. के अनुपात के रूप में कुल व्यय 2004-05 में 15.4 प्रतिशत से घटाकर 2006-07 में 13.6 प्रतिशत किया गया। वैश्विक संकट और इसके बाद दिए गए राजकोषीय प्रोत्साहन के अनुसरण में यह अनुपात 2008-09 में 15.7 प्रतिशत और 2009-10 में 15.8 प्रतिशत से अधिक पर पहुंच गया। 2010-11 में जब प्रोत्साहन उपायों को आंशिक रूप से वापस लिया गया प्राप्त उल्लेखनीय राजकोषीय समेकन के बावजूद स.घ.उ. के अनुपात के रूप में कुल व्यय 15.4 प्रतिशत पर रखा गया जो 3जी/बीडब्ल्यूए टेलिकाम स्पेक्ट्रम नीलामी/प्राप्तियों और अभिहित स.घ.उ. के उच्च स्तरों से हासिल करेतर पर राजस्वों में बढ़त के एकल आर्डर उत्पादन के स्वरूप के कारण संभव हुआ। इससे आगे बढ़ते हुए व्यय में राजकोषीय लक्ष्य प्राप्ति मुख्य घटकों में जिन पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है, उभरते रुझानों पर निर्भर करेगी।

आर्थिक सहायता

3.31 जैसाकि पहले ही इंगित किया जा चुका है, यद्यपि 2011-12 के बजट में व्यय को कुल स.घ.उ. के 14.0 प्रतिशत पर नियंत्रित किए जाने का अनुमान किया गया था। तथापि, तेल की उच्च वैश्विक कीमतों और घरेलू तेल और उर्वरक कीमतों में अपर्याप्त पासथ्रू के कारण अतिलंघन हुआ था। इमदादों में व्यय का अतिलंघन भी लेखाकरण में ऐसे हेरफेर के कारण हुआ जिससे सारी इमदादें अबाव दी लाइन कर दी गई। वर्ष 2011-12 (स.अ.) की तुलना में 2012-13 के बजट में 13.1 प्रतिशत पर

कुल व्यय में संवृद्धि का अनुमान था और स.घ.उ. के 2 प्रतिशत तक इमदादों पर व्यय को सीमित करने का प्रयास था। तेल इमदादों के लिए 2011-12 में 23,640 करोड़ रुपए के प्रावधान के मुकाबले में 2012-13 के बजट में कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों के कतिपय स्तर को मानते हुए 43,580 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया। यह जरूर ध्यान दिया जाए कि तेल इमदादें तेल विपणन कंपनियों को कैलेन्डर वर्ष के आधार पर अदा की जाती हैं, क्योंकि इमदादें तिमाही निष्कर्षों की घोषणा के बाद ही जारी की जाती हैं।

3.32 भारत में विविध कच्चा तेल 2012 में +107.52 प्रति बीबीएल (अप्रैल-दिसम्बर) था और वर्ष के दौरान लागू पास-थ्रू से तेल विपणन कंपनियों की अल्प वसूलियों में इजाफा हुआ और यह अप्रैल-दिसम्बर 2012-13 में 1,24,854 करोड़ रुपए पर अनुमानित था। चूंकि सपुंज आय वसूलियों का कारण दो इमदादी उत्पाद अर्थात् डीजल और एलपीजी थे, अतः सरकार ने डीजल की कीमतों में 5 रुपए प्रति लीटर की बढ़त कर दी और सितम्बर, 2012 में प्रति वर्ष इमदादी सिलिण्डर की संख्या 6 तक सीमित कर दी। कीमतों में अनवरत बढ़त के कारण सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को डीजल की कीमतें आवधिक रूप से थोड़ा-थोड़ा बढ़ाने की अतिरिक्त अनुज्ञा 17 जनवरी 2013 को दी। फिर भी घरेलू आय-व्यय के हिसाब को नुकसान से बचाने के लिए इसने वार्षिक एलपीजी सिलिण्डर की सीमा प्रति कनेक्शन 6 से बढ़ाकर 9 तक उसी समय कर दी।

3.33 कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों के उच्च स्तर पर उल्लेखनीय असर उर्वरक इमदादों के स्तर पर भी पड़ता है क्योंकि यह आपूर्ति स्टाक के रूप में ने केवल मुख्य निविष्टि है, वरन् यूरिया (प्रधान घरेलू उर्वरक) की कीमतों में अपर्याप्त पास-थ्रू भी था। उर्वरकों पर इमदादे 2007-08 में 32,490 करोड़ रुपए से पर्याप्ततः बढ़कर 2011-12 में 67,199 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। इसका हिसाब 2012-13 में 60,974 करोड़ रुपए पर तय किया गया है। सरकार उर्वरक की बढ़ती इमदादों के मसलों पर ध्यान देने के लिए मूल्यनिर्धारण नीतियों का हिसाब-किताब लगाती रही है। लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक निर्णय नाइट्रोजनरहित मुख्य उर्वरकों पर प्रति टन इमदाद को नियत करना था जिससे कि उपभोग में बढ़त की मात्रा तक इमदाद व्यय में वृद्धि को सीमित किया जा सके।

3.34 हाल के वर्षों में दूसरा प्रधान इमदाद व्यय, जो 2011-12 में समाप्त पिछले पांच वर्षों में 25.4 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर से बढ़ रहा था, आहार की मद में है। यद्यपि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आहार इमदाद पर सपुंज व्यय होता है तथापि अन्य ऐसी योजनाएं भी हैं जिन के तहत आहार पर इमदाद मुहैया करायी जाती है। इमदाद पर आंशिक व्यय सुरखित भंडार को वाहन लागत के कारण भी है जो हालिया वर्षों में बढ़ गयी है।

इमदादीकरण के गुणावगुणों की दृष्टि से गरीबों द्वारा मूल आहार के अल्प उपभोग और देश में कुपोषण की मात्रा को ध्यान में रखते हुए आहार इमदाद के लिए प्राथमिकता प्रदान किए जाने की जरूरत है। सरकार ने इसे राष्ट्रीय आहार सुरक्षा अधिनियम के ज़रिए सुधारने की कोशिश की है, (देखें अध्याय 8) हालांकि ऐसी चिन्ता व्यक्त की गई है कि इसमें इमदाद पर व्यय और अधिक बढ़ जाएगा किन्तु जैसा कि, पहले ही बताया जा चुका है। यह कार्य इस बुनियादी न्यूनतम जरूरत के लिए प्रावधान करने संबंधी अग्रताकरण में चुनौती का हिस्सा है भले ही अन्य मदों के व्यय में कमी कर दी जाए। इसके अलावा इमदादों का बेहतर लक्ष्य बनाने और उनके प्रदाय में निहित बाह्य स्राव को कम से कम करने की जरूरत है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (बॉक्स 3.4) एक ऐसी ही पहलकदमी है।

ब्याज संदाय

3.35 घाटा और कर्ज के स्तर का संचयी प्रभाव ब्याज संदायों के ब्याज में प्रतिबिम्बित है। सघउ के अनुपात के रूप में ब्याज संदाय एफआरबीएम अवधि में ह्रासित हुए तथा राजकोषीय घाटे में बढ़त के बावजूद हालिया वर्षों के लगभग 3.1 प्रतिशत पर निम्न बने हुए हैं। इसके एक भाग का कारण अभिहित सघउ की तुलना में ब्याजगत भुगतानों में अल्पतर बढ़त था। 2011-12 में समाप्त हो रहे पिछले पांच वर्षों के दौरान ब्याजगत भुगतानों में 12.7 प्रतिशत की वार्षिक औसत बढ़त के मुकाबले में वार्षिक औसत अभिहित सघउ संवृद्धि 15.9 प्रतिशत थी। यह ध्यान देना हितकर होगा कि ब्याजगत भुगतानों का आधार पिछले वर्ष में संचयी ऋण, चालू वर्ष में ऋण की वर्धनकारी मान्यता है। इस प्रकार निर्धारित उधार की औसत लागत 2011-12 (सं.अ.) में 7.9 प्रतिशत पर रखी गयी है और इसके 2012-13 (तालिका 3.8) में उसी स्तर पर रहने के लिए बजट विहित किया गया है।

सारणी 3.8 : केंद्र सरकार की बकाया आंतरिक देयताओं पर ब्याज			
	बकाया आंतरिक देयताएं (अंत मार्च)	आंतरिक देयताओं पर ब्याज	उधारों की औसत लागत (प्रतिशत प्रतिवर्ष)
	(₹ करोड़)		
2004-5	1603785	105176	7.2
2005-6	1752403	111476	7.0
2006-7	1967870	128299	7.3
2007-8	2247104	149801	7.6
2008-9*	2565991	170388	7.6
2009-10	2874683	192567	7.5
2010-11	3212521	212707	7.4
2011-12(सं.अ.)	3738151	253995	7.9
2012-13(ब.अ.)	4284660	296940	7.9

स्रोत : केन्द्रीय बजट दस्तावेज

टिप्पणी: * घरेलू ऋण पुनर्खरीद योजना और विदेशी ऋण की पूर्व अदायगी के मद में प्रीमियम के लिए ₹563 करोड़ की राशि शामिल नहीं है।

1. उधार की औसत लागत 'टी' वर्ष में ब्याज भुगतान की 'टी-1' वर्ष में बकाया देयताओं की प्रतिशतता है।
2. बकाया आंतरिक देयताओं में राज्यों को दिए गए एनएसएसएफ ऋण शामिल नहीं है जिन पर केन्द्र की कोई ब्याज देयता नहीं है।
3. पहले के अंकों में सूचित ब्याज अदायगी के आंकड़े भिन्न हो सकते हैं क्योंकि ये आंकड़े 1999-2000 अर्थात् एनएसएसएफ के गठन से सरकार द्वारा प्रदत्त एनएसएसएफ पर ब्याज अदायगियों को घटाकर हैं।

वेतन भत्ते और पेंशन

3.36 वेतन और भत्ते 2007-08 में सघउ के 0.9 प्रतिशत के हिसाब में थे जो छठे केंद्रीय वेतन आयोग के पंचाट के क्रियान्वयन के कारण 2009-10 में सघउ के 1.5 प्रतिशत तक बढ़ गया।

बॉक्स 3.4 : प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के योगदान को 20 जिलों में सात स्कीमों के साथ 01 जनवरी 2013 को आरंभ किया गया था। भारत चुन्दा जिलों में डीबीटी स्कीम पर चल पड़ा है जिसमें यह परिकल्पित है कि छात्रवृत्तियां, पेंशन जैसे लाभ की राशि और मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) की मजदूरी चयनित लाभार्थियों के बैंक या डाकघर के खातों में सीधे जमा की जाएगी। डीबीटी स्कीम फिलहाल सार्वजनिक सेवा प्रणाली का स्थानापन्न नहीं होगी। यह लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत न तो आहार और मिट्टी के तेल की इमदादों और न उर्वरक इमदादों का स्थान लेगी। डीबीटी को लक्ष्य सुधारने, भ्रष्टाचार घटाने, बरबादी मिटाने, व्यय को नियंत्रित करने, और सुधारों को सुकर करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। लाभों का इलेक्ट्रॉनिक अंतरण सरल अभिकल्प फेरबदल है, और पत्र तथा रोकड़ कार्यरति से पहले से किए जा रहे अंतरण इलेक्ट्रॉनिक अंतरणों के ज़रिए अब किए जाएंगे। यह कार्य आधी आम जनता को समाहित कर रही राष्ट्रीय जनसंख्या पुस्तिका के साथ अब 200 मिलियन जनता को समाहित कर रहे और 600 मिलियन (लगभग हमारी आधी जनता) लोगों को समाहित करने के लिए द्रुतत: बढ़ते आधार (अद्वितीय पहचान) के शीघ्र प्रचालन से संभव हो सका है। ऐसी अद्वितीय पहचान के साथ-साथ डीबीटी से यह सुनिश्चित होगा कि ये लाभ लक्ष्य समूहों तक जल्दी पहुंचें और हस्त क्रियाविधियों से जुड़ी समावेश और बर्हिगमन संबंधी भूलों तथा भ्रष्टाचार को न्यूनतम किया जा सके।

2011-12 (बअ) में सघउ के 1.1 प्रतिशत पर वहां कुछ संयत स्थिति बनी हुई है। इसी प्रकार से पेंशन 2007-08 में सघउ के 0.5 प्रतिशत के हिसाब में था जो 2009-10 के 0.9 प्रतिशत तक बढ़ गया, यह 2011-12 के 0.6 प्रतिशत पर रखा गया। दीर्घतर सामयिक रूझान के विश्लेषण से पता चलता है कि पेंशन में इजाफा 2004-5 से पूर्व बहुत साधारण था और बाद में पूर्व की अपरिभाषित अंशदान पेंशन स्कीम में व्यय के अतिरिक्त सरकारी सेवा में आगंतुकों के लिए प्रचालित सहायक स्कीम के प्रभाव के कारण बढ़ गया। वेतन और भत्तों के साथ-साथ पेंशन 2008-09 एवं 2009-10 में तीव्रता से बढ़ गया जिससे छोटे वेतन आयोग का प्रभाव प्रतिबिम्बित हो रहा है।

केन्द्रीय योजना परिव्यय

3.37 आयोजना परिव्यय में आयोजनागत (केन्द्रीय योजना जमा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता) हेतु सकल बजटीय सहायता (स.ब.स.) तथा केन्द्रीय सार्वजनिक-क्षेत्रक उद्यमों के आंतरिक एवं बजट बाह्य संसाधन समाविष्ट हैं। बारहवीं पंचवर्षीय योजना में स.घ.उ. के 5.25 प्रतिशत की स.ब.स. की परिकल्पना की गई है। 2012-13 के लिए बजट से 2011-12 (स.अं.) में ₹5,58,172 करोड़ की तुलना में ₹6,51,509 करोड़ का केन्द्रीय योजना परिव्यय नियत किया गया है। योजना के लिए स.ब.स. 2012-13 ब.अ. में ₹3,91,027 करोड़ नियत की गई है।

3.38 कुल परिव्यय के अनुपात के अनुरूप व्यापक क्षेत्र-वार आवंटन निम्न है: ऊर्जा (23.8 प्रतिशत); सामाजिक सेवाएं (27.5 प्रतिशत); परिवहन (19.2 प्रतिशत); संचार (2.4 प्रतिशत); ग्रामीण विकास (7.8 प्रतिशत); कृषि और संबद्ध गतिविधियां (2.7 प्रतिशत); और सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण (0.2 प्रतिशत)। राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं को केन्द्रीय सहायता 2012-13 ब.अ. में ₹1,29,998 करोड़ नियत की गई है। आयोजना भिन्न से आयोजना व्यय का पुनः पूर्विकतानिर्धारण प्रस्तावित बारहवीं योजना परिव्यय को पूरा करने में महत्वपूर्ण होगा।

अनुदानों की पूरक मांगें

3.39 इस संविधानिक प्रावधान के मद्देनजर कि संसद की मंजूरी के बिना कोई व्यय नहीं किया जा सकता, ब.अ. की तुलना में अधिक व्यय अनुदानों की पूरक मांगों के माध्यम से किया जाना है। अनुदानों की पूरक मांगों की उत्पत्ति दो कारकों के कारण होती है अर्थात् नये प्रस्ताव जिन्हें ब.अ. के समय परिकल्पित नहीं किया गया था तथा ब.अ. में विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत अल्प प्रावधान के कारण होने वाला अतिरिक्त व्यय। अतिरिक्त व्यय का एक भाग एक बजट शीर्ष से दूसरे शीर्ष में

पुनः विनियोजन के माध्यम से पूरा किया जाता है, जिसमें कोई निवल नकद व्यय नहीं होता, तथा अतिरिक्त मांगों के माध्यम से पूरा किया जाता है जिसमें नकद व्यय अंतर्ग्रस्त है। समग्र राजकोषीय लक्ष्य प्राप्ति के लिए पश्चोक्त के विस्तार के निहितार्थ हैं।

3.40 हालिया वर्षों में, पेट्रोलियम तथा उर्वरक रियायतों को अल्प प्रावधानन नकद व्यय के साथ अनुदानों के लिए पूरक मांगों का एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। वर्ष 2011-12 में प्रस्तुत की गई नकद व्यय वाली अनुदानों के लिए तीन पूरक मांगों में से लगभग 60.7 प्रतिशत पेट्रोलियम और उर्वरक रियायतों के कारण थी। 2012-13 में अनुदानों के लिए केवल एक पूरक मांग रखी गई है। ₹ 30,804.13 करोड़ के निवल नकद व्यय की अंतर्ग्रस्तता वाली मांगों में से, ₹ 28,500 करोड़ का व्यय तेल विपणन कम्पनियों की अल्प-वसूलियों के लिए मुआवजे के कारण था और 2000 करोड़ का व्यय एयर इण्डिया की क्रमावर्तन योजना तथा वित्तीय पुनर्संरचना योजना के लिए इक्विटी सन्निवेशन के कारण था।

आर्थिक और कार्यात्मक वर्गीकरण

3.41 जबकि व्यय, राजस्व, और घाटों में प्रवृत्तियों का पारम्परिक विश्लेषण लोक वित्त की प्रवृत्तियों को समझने के लिए उपयोगी है, राजकोषीय नीतियों का बृहत आर्थिक प्रभाव राष्ट्रीय लेखा-विधि ढांचे के संदर्भ में बेहतर समझा जा सकता है। लेकिन परवर्ती कुछ अंतराल पर प्राप्त होता है। यहीं केन्द्र सरकार बजट का आर्थिक और कार्यात्मक वर्गीकरण उपयोगी है। केन्द्र सरकार बजट का ऐसा विश्लेषण निर्दिष्ट करती है कि 2011-12 (स.अ.) में ₹ 12,88763 करोड़ के कुल व्यय में से उपभोग व्यय ₹ 2,56,898 करोड़ और सकल पूंजी निर्माण पर व्यय ₹ 70,050 करोड़ था (परिशिष्ट सारणी 2.21)। शेष अर्थव्यवस्था में वित्तीय निवेश तथा ऋण ₹46,149 करोड़ के थे। शेष व्यय के अंतरण भुगतान होने के कारण, ऐसे वित्तीय अंतरण कुल व्यय के 71.0 प्रतिशत थे। वर्ष 2012-13 (ब.अ.) में, ₹ 14,97,636 करोड़ के कुल अनुमानित व्यय में से, उपभोग व्यय ₹ 2,90,124 करोड़ और सकल पूंजी निर्माण ₹ 94,906 करोड़ आंका गया है। शेष अर्थव्यवस्था को ₹ 10,10,950 करोड़ के अंतरण भुगतान कुल व्यय 67.5 प्रतिशत का संघटन करते हैं।

3.42 कार्यात्मक शीर्षों द्वारा वर्गीकरण के अनुसार ₹ 6,41,944 करोड़ पर सामाजिक और आर्थिक सेवाओं (व्यापक रूप से कुल विकास परिव्यय को शामिल करते हुए) ने 2012-13 (ब.अ.) में ₹ 14,97,636 करोड़ के कुल व्यय के 42.9 प्रतिशत का संघटन किया था। सामान्य सेवाओं पर व्यय ₹ 3,49,199 करोड़ अनुमानित किया गया है जो कुल व्यय का 23.3 प्रतिशत बैठता

है। मद जैसे राज्यों को सहायता-अनुदान, संघ राज्य क्षेत्रों को आयोजना भिन्न अनुदान खाद्य एवं अन्य उपभोक्ता रियायतें, सार्वजनिक ऋण पर ब्याज पेंशन और अन्य राष्ट्रों को सहायता जैसी मदें कुल व्यय के अनावरित वर्ग का संघटन करते हुए 33.8 प्रतिशत के लिए उत्तरदायी हैं। केन्द्रीय बजट के आर्थिक और कार्यात्मक वर्गीकरण की मुख्य विशेषता 2012-13 में 2011-12 स.अ. के मुकाबले पूंजी निर्माण (पूँजी निर्माण हेतु वित्तीय सहायता सहित) में वृद्धि है जो 22.9 प्रतिशत निर्धारित की गई है और सामाजिक सेवाओं में 16.2 प्रतिशत की वृद्धि है, जो उच्चतर निवेश और समावेशी विकास कार्य सूची पर बजट के जोर को प्रदर्शित करती है।

2012-13 में व्यय परिणाम

3.43 ब.अ. 2012-13 (2011-12 के अन्तिम वास्तविक आंकड़ों की तुलना में) द्वारा परिकल्पित 14.8 प्रतिशत की अंतर्हित वर्षानवर्ष वृद्धि के मुकाबले, अप्रैल-दिसंबर 2012 में कुल व्यय में वृद्धि केवल 10.6 प्रतिशत रही (देखें सारणी 3.7)। अप्रैल-दिसंबर 2012 में आयोजना भिन्न राजस्व व्यय 72.3 प्रतिशत निर्धारित किया गया, जो ब.अ. के 77.7 प्रतिशत की पंचवर्षीय औसत से काफी कम है। समान रूप से अप्रैल-दिसंबर 2012 में आयोजना राजस्व तथा आयोजना पूंजी व्यय दोनों पर व्यय ब.अ. के अनुपात के रूप में पांच-वर्ष की औसत से काफी कम है। तथापि, अप्रैल-दिसंबर 2012 में मुख्य रियायतें अत्यधिक बढ़कर ₹ 1,66,824 करोड़ (ब.अ. का 92.2 प्रतिशत) के आंकड़े पर पहुंच गई। व्यय नियंत्रण ने अप्रैल-दिसंबर 2012 में घाटों को कम रखने में मदद की।

2012-13 में घाटा निष्कर्ष

3.44 2012-13 के लिए बजट में ₹ 5,13,590 करोड़ का घाटा अनुमानित किया गया। ऋण भिन्न प्राप्तियों में कमी और व्यय नियंत्रण के निवल परिणाम अप्रैल-दिसंबर 2012 में राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे वांछित संकेतकों के संदर्भ में परिणाम में सहायक रहे हैं। ब.अ. के अनुपात के रूप में राजकोषीय घाटा 78.8 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। जो 85.9 प्रतिशत की पांच-वर्ष की औसत और पिछले वर्ष के 92.3 प्रतिशत के स्तर से महत्वपूर्ण रूप से कम है। उसी तरह, राजस्व घाटा 85.1 प्रतिशत निर्धारित किया गया है जो हालिया विगत में हासिल स्तर से काफी कम है। तथापि, सांकेतिक प्रभावी राजस्व घाटा अप्रैल-दिसंबर, 2012 में 120.5 प्रतिशत आंका गया है। यद्यपि यह पिछले वर्ष की इसी अवधि के स्तर से कम है, यह एक कमी है और पूंजी परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदानों के निम्नतर व्यय के कारण है।

सरकारी ऋण

3.45 पश्च-संकट काल में राजकोषीय घाटे के उच्च स्तरों ने केन्द्र सरकार के समग्र ऋण भार को बढ़ा दिया। दीर्घित राजकोषीय घाटे के कारण अर्थव्यवस्था के लिए समपोषणीय स्तरों से परे ऋण-संचयन हो जाता है और इसके परिणाम उच्चतर वास्तविक तथा सांकेतिक ब्याज दरें, पूंजी निर्माण की अपेक्षाकृत कम वृद्धि होते हैं और उत्पादन वृद्धि की दर अत्यधिक कम हो जाती है। केन्द्र सरकार की बकाया देनदारियां, मार्च अंत 2012 में स.घ.उ. के 49.8 प्रतिशत के समतुल्य ₹ 44,68,714 करोड़ निर्धारित की गई थीं (सारणी 3.9)। स.घ.उ. के अनुपात के रूप में, केन्द्र की बकाया देनदारियां (समायोजित) 2002-03 में अधिकतम 67.0 प्रतिशत थीं तथा पश्च-संकट वर्षों में राजकोषीय घाटे में तेजी के बावजूद इनमें बाद में गिरावट आई है। इसका कारण है कि सांकेतिक स.घ.उ. की वृद्धि से देनदारियों के वर्धनात्मक अनुमान में वृद्धि कम है और स.घ.उ. के प्रति ऋण अनुपात गत्यात्मकताओं को सांकेतिक स.घ.उ. वृद्धि तथा सांकेतिक ब्याज दरों के परिवर्ती द्वारा सहायता मिलती है जिससे एक निश्चित प्राथमिक शेष के माध्यम से बृहत्तर अपचयन प्राप्त करना संभव हो जाता है।

3.46 भारत सरकार की कुल देनदारियों में भारत की संवयी निधि (तकनीकी रूप से लोक ऋण के रूप में परिभाषित) में लेखाकृत ऋण और देनदारियों के साथ-साथ सार्वजनिक लेखा में लेखाकृत देनदारियां शामिल हैं। मार्चांत 2012 में लोक ऋण कुल देनदारियों के 76.3 प्रतिशत को संघटित करता है। इसे आगे आंतरिक एवं बाह्य ऋण में वर्गीकृत किया गया है। आंतरिक ऋण जो लोक ऋण के 90.9 प्रतिशत को संघटित करता है, में अधिकायता नियत अवधि, नियत कूपन दिनांकित प्रतिभूतियां (72.1 प्रतिशत) तथा राजकोषीय हण्डियां (10.2 प्रतिशत) शामिल हैं। राज्य सरकारों को सीधे बाह्य ऋण की अनुमति नहीं है इसलिए उनका सम्पूर्ण ऋण घरेलू है। समय बीतने के साथ-साथ विपणन योग्य ऋण की ओर संघटनात्मक अंतरण है, जबकि लोक खाता देनदारियों में समानुपातिक गिरावट पाई गई है। कुल आंतरिक देनदारियों में विपणन योग्य ऋण का हिस्सा, जो 1990 के दशक के आरंभिक वर्षों में लगभग 30 प्रतिशत था, 2000 के दशक के आरंभिक वर्षों में बढ़कर 40 प्रतिशत हो गया और मार्च अंत 2013 तक इसके बढ़कर 67.5 प्रतिशत होने की बजटीय व्यवस्था की गई है। दूसरी तरफ लोक लेखा देनदारियों का हिस्सा 1990 के दशक के आरंभिक वर्षों में लगभग 46 प्रतिशत तथा 2001-02 में लगभग 30 प्रतिशत से घटकर 2012-13 (ब.अ.) में 22.8 प्रतिशत रह गया।

3.47 घरेलू ऋण पर अपेक्षाकृत अधिक निर्भरता ऋण पोर्टफोलियों को अंतर्राष्ट्रीय अस्थिरता से संरक्षित करती है। यह मुद्रा जोखिम को भी कम करती है। इसके अलावा, भारत सरकार के आन्तरिक ऋण की निम्न अनुकूल विशेषताएं हैं जो कुछ सहजता उपलब्ध कराती हैं:

(क) बकाया सरकारी प्रतिभूतियों की 9.8 वर्षों में भारित औसत परिपक्वता अंतरराष्ट्रीय मानकों की तुलना में उच्च है।

सारणी 3.9 : केन्द्र सरकार की बकाया देयताएं

	मार्च					
	2007-8	2008-9	2009-10	2010-11	2011-12 (सं.अ.)	2012-13 (ब.अ.)
	(सघउ के प्रतिशत के रूप में)					
1. आंतरिक देयताएं #	54.6	53.9	52.4	48.5	47.9	48.3
क) आंतरिक ऋण	36.1	35.9	35.9	34.2	35.7	37.3
i) बाजार उधार	22.1	23.8	27.0	26.6	27.9	29.8
ii) अन्य	13.9	12.1	9.0	7.6	7.7	7.5
ख) अन्य आंतरिक देयताएं	18.6	18.1	16.5	14.3	12.2	11.0
2. विदेशी ऋण (बकाया) *	2.2	2.2	2.1	2.0	1.9	1.8
3. कुल बकाया देयताएं	56.9	56.1	54.5	50.5	49.8	50.1
ज्ञापन मद्दे						
(क) विदेशी ऋण @	4.2	4.7	3.8	3.6	3.6	3.3
(ख) कुल बकाया देयताएं (समायोजित) **	58.9	58.6	56.3	52.1	51.5	51.7

स्रोत : केन्द्रीय बजट दस्तावेज, सहायता लेखा और लेखा परीक्षा नियंत्रक और भारतीय रिजर्व बैंक

* विदेशी ऋण के आंकड़े केंद्र सरकार द्वारा विदेशी स्रोतों से लिए गए उधारों के द्योतक हैं और पारंपरिक विनियम दरों पर आधारित हैं।

@ वर्ष के अंत में प्रचलित विनियम दरों पर रूपांतरित। वर्ष 2006-07 के लिए मार्च 2007 के अंत में प्रचलित दरें; 2007-2008 के लिए मार्च 2008 के अंत में प्रचलित दरें मार्च 2008 के अंत में प्रचलित दरें, इत्यादि।

आंतरिक ऋण में बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत वर्ष 2005-06 के लिए ₹ 29,062 करोड़, 2006-07 के लिए ₹ 62,974 करोड़ और 2007-08 के लिए ₹ 1,70,554 करोड़ 2008-09 के लिए ₹ 88,773 करोड़ और 2009-10 के लिए ₹ 2,737 करोड़, 2011-12 (ब.अ.) के लिए ₹ 20,000 करोड़ के निवल उधार शामिल हैं।

** आंतरिक देयताएं तथा विदेशी ऋण (वर्ष तथा विनियम दरों पर रूपांतरित)।

टिप्पणी : चालू बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात सीएसओ की राष्ट्रीय लेखा 2004-05 श्रृंखला पर आधारित हैं।

मार्च-अंत 2012 में, एक वर्ष से कम अवधि में परिपक्व होने वाले ऋण का अनुपात केवल 3.5 प्रतिशत था तथा बकाया स्टॉक के 30.2 प्रतिशत की अवशिष्ट परिपक्वता पांच वर्षों तक थी। इसका निहितार्थ यह है कि अगले पांच वर्षों में, औसतन बकाया स्टॉक लगभग 6.0 प्रतिशत को प्रत्येक वर्ष आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है इस प्रकार ऋण पोर्टफोलियों में रोल ओवर जोखिम कम रहा।

ख) भारत में अधिकतर सार्वजनिक ऋण निश्चित ब्याज दरों पर है। कुल बकाया दिनांकित प्रतिभूतियों में से केवल 1.8 प्रतिशत अस्थायी दरों पर थीं। इस प्रकार ब्याज भुगतान ब्याज दर अस्थिरता से अधिकांश संरक्षित है जिसमें बजट को स्थिरता प्राप्त होती है।

ग) राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ऋण (ब्याज भुगतान/ऋण अनुपात) और ब्याज भुगतानों की औसत लागत वैश्विक स्तर पर गिरावट पर है, यद्यपि विगत दो वर्षों में कुछ तेजी परिलक्षित हुई है। राजस्व प्राप्तियों के प्रति ब्याज भुगतानों का अनुपात 2000 के दशक के आरंभिक वर्षों में लगभग 50 प्रतिशत से गिरकर 2011-12 में लगभग 36 प्रतिशत रह गया है।

घ) प्राथमिक निर्गम की एक सापेक्षतया स्थिर भारत औसत, आय देश में ऋण की निरंतरता की ओर संकेत करते हुए ब्याज भुगतानों/राजस्व प्राप्तियों तथा ब्याज भुगतानों /ऋण अनुपातों में स्थिरता निर्दिष्ट करती है।

3.48 सरकारी ऋण सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों, जिनमें बैंकिंग क्षेत्र शामिल है, के पुनः पूंजीकरण से संबद्ध देनदारियों की अवधारणा से भी उत्पन्न होता है। इसलिए, उनके वित्त साधनों का अवलोकन करना परम्परागत है।

केन्द्र सरकार के विभागीय उद्यमों का निष्पादन

रेलवे

3.49 बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) समग्र रूप से परिवहन क्षेत्र के लिए एक एकीकृत अवधारणा परिकल्पित करती है। इसमें उल्लेख है कि परिवहन क्षेत्र के लिए संकल्पना एक मिश्रित रूपात्मकता द्वारा मार्गदर्शित होनी चाहिए जो एक दक्ष, स्थायी, किफायती, सुरक्षित, भरोसेमंद, पर्यावरण अनुकूल, और क्षेत्रीय संतुलित परिवहन प्रणाली को प्रेरित करेगी। रेल तंत्र को एक प्रभावी बहु-रूपात्मक परिवहन प्रणाली का हिस्सा बनने हेतु एक

कार्यनीति का विकास करना होगा। बारहवीं योजना सुरक्षा, आधुनिकीकरण, और क्षमता संवर्धन को सकेंद्रण क्षेत्रों के रूप में चिन्हित करती है जिसके लिए भारतीय रेलवे सरकारी निजी भागीदारियों (पीपीपी), राज्य सरकारों तथा अन्य पण धारकों के साथ कीमत साझेदारी तथा बाजार उधारों के माध्यम से अपने आंतरिक संसाधनों को विवेकपूर्ण रूप से अनुपूरित करने के उपाये कर रहा है।

3.50 राजकोषीय वर्ष 2011-12 के दौरान भारतीय रेलवे द्वारा की गई माल ढुलाई 2010-11 में 921.7 मिलियन टन की तुलना में 2010-11 के स्तरों से 48.1 मिलियन टन की वर्धनात्मक ढुलाई के साथ 5.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 969.8 मिलियन टन थी। 2012-13 (ब.अ.) के लिए माल ढुलाई यातायात लक्ष्य, पिछले वर्ष के मुकाबले 5.7 प्रतिशत की वृद्धि करके, 1025 मिलियन टन नियत किया गया है। अप्रैल-नवम्बर, 2012 के दौरान, भारतीय रेल ने 647.11 मिलियन टन का राजस्व-अर्जक माल ढुलाई यातायात सवाहित किया है। संवाहित किए गए माल में पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान वास्तव में संवाहित 618.05 मिलियन टन के माल ढुलाई यातायात की तुलना में 29.06 मिलियन टन की वृद्धि परिलक्षित हुई है, जो 4.7 प्रतिशत की वृद्धि की द्योतक है।

3.51 वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 69,547.59 करोड़ रुपए के माल ढुलाई अर्जन संशोधित लक्ष्य से ₹927 करोड़ अधिक थे जो 2010-11 की तुलना में 10.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हैं। 2011-12 के दौरान यात्री अर्जन (अन्य कोचिंग अर्जनों सहित) 2010-11 में ₹ 28,263 करोड़ की तुलना में 9.6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, ₹ 30,962.96 करोड़ रहे। 2011-12 के समग्र यातायात राजस्व, 2010-11 की तुलना में 10.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए, ₹ 1,04,153 करोड़ रहे। यातायात बकायों में ₹ 43 करोड़ के अतिरिक्त संचयन को हिसाब में लेते हुए, 2011-12 के लिए रेलवे की सकल यातायात प्राप्तियां ₹ 1,04,110 करोड़ रहीं। 2012-13 के लिए सकल यातायात प्राप्तियों के ₹ 1,32,552 करोड़ होने की बजटीय व्यवस्था की गई है।

3.52 2011-12 के दौरान ₹ 74,537.41 करोड़ पर सामान्य कार्य चालन व्यय 2010-11 की तुलना में 9.4 प्रतिशत की वृद्धि निर्दिष्ट करते हैं। मूल्यह्रास आरक्षित निधि और पेंशन निधि में विनियोजनों सहित कुल कार्य-चालन व्यय 2010-11 की तुलना में 10.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 98,667.41 करोड़ हो गया। सामान्य कार्य-चालन व्ययों के 2012-13 के लिए ₹ 84,400 करोड़ होने की बजटीय व्यवस्था की गई है जबकि कुल कार्य-चालन व्यय ₹ 1,12,400 करोड़ है।

3.53 विविध प्राप्तियों और विविध व्यय के निबल अंतर को हिसाब में लेने पर वर्ष 2011-12 का निबल राजस्व ₹ 6,781.60 करोड़ था। राजकोषीय वर्ष के लिए ₹ 5,656.03 करोड़ की लाभांश देयता का पूर्णतया निर्वहन करने के पश्चात् 2011-12 के दौरान

रेलवे ने लगभग ₹ 1,125.57 करोड़ का आधिक्य सृजित किया। 2012-13 के दौरान लाभांश देयता के ₹ 6,676 करोड़ होने की बजटीय व्यवस्था की गई। रेलवे के प्रचालनात्मक अनुपात (सकल यातायात अर्जनों के प्रति कुल कार्य-चालन व्ययों की प्रतिशतता) में सीमांतिक ह्रास रहा, जो 2010-11 में 94.6 प्रतिशत की तुलना में 2011-12 में 94.9 प्रतिशत रहा। रेल बजट में 2012-13 के लिए प्रचालनात्मक अनुपात 84.9 प्रतिशत लक्षित किया गया। राजकोषीय वर्ष के लिए प्रभारित पूंजी और पूंजी निधि से निवेश के अनुपात के रूप में निबल राजस्व 2011-12 में 4.2 प्रतिशत रहा। 2012-13 (ब.अ.) के लिए लक्ष्य 12.1 प्रतिशत है।

3.54 2011-12 के लिए आयोजना परिव्यय (अनंतिम) रुपए 45,499 करोड़ था, जिसमें ₹ 8,934 करोड़ के आंतरिक रूप से सृजित संसाधन (अर्थात् आयोजना परिव्यय का 19.6 प्रतिशत) और भारतीय रेल विकास निगम द्वारा ₹15,228 करोड़ के बाजार उधार (अर्थात् आयोजना परिव्यय का 33.5 प्रतिशत) शामिल हैं, इनमें रेल विकास निगम लिमिटेड के लिए ₹108 करोड़ के उधार भी शामिल हैं। वर्ष 2012-13 के लिए वार्षिक आयोजना परिव्यय के ₹ 60,100 करोड़ होने की बजटीय व्यवस्था की गई है, जो अभी तक का उच्चतम आयोजना निवेश है। आयोजना को ₹ 24,000 करोड़ की स०ब०स० (40.0 प्रतिशत), ₹ 18,050 करोड़ के आंतरिक संसाधनों (30.0 प्रतिशत), रेलवे सुरक्षा निधि से ₹ 2,000 करोड़ (3.3 प्रतिशत) और ₹ 16,050 करोड़ के अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (26.7 प्रतिशत) जिसमें आईआरएफसी के माध्यम से ₹ 15,000 करोड़ के बाजार उधार शामिल हैं, के जरिए वित्तपोषित करने की बजटीय व्यवस्था की गई है।

डाक विभाग

3.55 2011-12 में डाक विभाग की सकल प्राप्तियां ₹7899.35 करोड़ पर रही। वर्ष के दौरान सकल और निबल कार्य-चालन व्यय क्रमशः ₹ 14,163.91 करोड़ और ₹ 13,307.9 करोड़ था, जो ₹ 5805.92 करोड़ के घाटे में परिणामी हुआ है। चालू राजकोषीय वर्ष में 2012-13 ब.अ. के अनुसार सकल प्राप्तियों के ₹ 7793.31 करोड़ तक होने की बजटीय व्यवस्था की गई है, जिसमें सकल और निबल कार्य-चालन व्ययों के क्रमशः ₹ 14,379.71 करोड़ तथा ₹ 13,714.66 करोड़ होने का अनुमान है। ₹ 5921.35 करोड़ का घाटा अनुमानित किया गया है।

3.56 सरकार ने सभी अकम्प्यूटरीकृत डाक घरों, डाक कार्यालयों, प्रशासनिक और अन्य कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण, अपेक्षित आईटी अवसंरचना की स्थापना और अपेक्षित साफ्टवेयर अनुप्रयोगों के विकास हेतु डाक विभाग की आईटी आधुनिकीकरण परियोजना को अनुमोदित कर दिया है। आईटी आधुनिकीकरण परियोजना की निरंतरता को, जिसमें ₹ 4909.00 करोड़ की संचालन और अनुरक्षण लागत शामिल है, 22 नवम्बर 2012 को अनुमोदित कर दिया गया है।

प्रसारण

3.57 प्रसार भारती का व्यय वर्ष 2011-12 में ₹ 3340.57 करोड़ (अनंतिम) था जिसमें अंतरिक्ष खण्ड संबंधी प्रभारों और स्पेक्ट्रम प्रभार तथा ब्याज एवं मूल्यहास लागतें शामिल नहीं हैं। 2011-12 में अर्जित किया गया कुल राजस्व ₹ 1409.54 करोड़ (समायोजन के शर्ताधीन) था।

3.58 सरकार ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कई योजनाएं प्रस्तावित की हैं जिन्हें आकाशवाणी (एआईआर) तथा दूरदर्शन के माध्यम से कार्यान्वित किया जाना है जिसमें प्रेषकों, प्रसारणकक्षों तथा संयोजकता के अंकीकरण की योजना शामिल है। योजना में अन्य बातों के साथ-साथ 98 प्रसारणकक्षों का अंकीकरण एवं 100 स्थानों पर 100 वॉट के एफएम डिजिटल सुमेल प्रेषकों की संयोजकता तथा संस्थापना को परिकल्पित किया गया है। इस प्रकार आकाशवाणी/दूरदर्शन तन्त्र के अंकीकरण की योजना बारहवीं योजना का मुख्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक बनी रहना जारी है। 294 शहरों में 839 अतिरिक्त निजी एफएम चैनलों की नीलामी भी 2013-14 में पूर्ण होनी सम्भावित है। सरकार ने प्रसार भारती की संचालन लागत में संसाधन अंतर को पूरा करने के लिए 2012-13 (ब.अ.) में ₹ 2047.35 करोड़ का

आवंटन किया है। इसके अतिरिक्त, प्रसार भारती के लिए वित्तीय पुर्नगठन पैकेज के रूप में, सरकार ने हाल ही में विभिन्न उपायों को अनुमोदित किया है जिसमें अगले पांच वर्षों 2012-13 से 2016-17 के दौरान वेतन पर व्ययों और वेतन संबंधी स्थापना व्ययों की 100 प्रतिशत पूर्ति शामिल है जबकि संचालन व्ययों के सभी अन्य मदों का वहन प्रसार भारती द्वारा अपने आंतरिक संसाधनों से किया जाना है।

राज्य-स्तरीय वित्त साधन

3.59 हालांकि केन्द्र सरकार के वित्त साधनों में हाल ही के वर्षों में कुछ दबाव आया है, राज्य सरकारों के वित्त साधन उत्कृष्ट दशा में हैं। वैश्विक कठिनाई के वर्षों में भी राज्यों का संयुक्त सकल राजकोषीय घाटा स.घ.उ. के 3 प्रतिशत से अधिक नहीं था। वर्ष 2007-08 में स.घ.उ. के 1.5 प्रतिशत के स्तर पर पहुंचने के पश्चात्, राज्यों का राजकोषीय घाटा 2009-10 में बढ़कर 2.9 प्रतिशत हो गया लेकिन बाद में गिर कर 2.1-2.3 प्रतिशत हो गया (सारणी 3.10)। स.घ.उ. के अनुपात के रूप में 2008-09 तथा 2009-10 में कर प्राप्ति संतुलित हुई और इन्होंने 2011-12 (स.अ.) एवं 2012-13 (ब.अ.) में वृद्धि के बावजूद स्थिर कर-भिन्न प्राप्ति के साथ मिलकर राजकोषीय संचयन में सहायता

सारणी 3.10 : राज्य तथा समेकित सामान्य सरकार की प्राप्ति और संवितरण

मद	2007-8	2008-9	2009-10	2010-11	2011-12 (सं.अ.)	2012-13 (ब.अ.)
	(स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में)					
राज्य सरकारें						
I. कुल प्राप्ति (क + ख)	15.4	15.8	15.6	15.1	15.9	16.3
क. राजस्व प्राप्ति (1 + 2)	12.5	12.3	11.9	12.0	12.7	13.3
1. कर प्राप्ति	8.8	8.6	8.2	8.7	9.0	9.4
2. कर-भिन्न प्राप्ति	3.7	3.8	3.7	3.3	3.7	3.8
ख. पूंजी प्राप्ति	2.8	3.5	3.7	3.1	3.2	3.0
II. कुल संवितरण	15.1	15.7	15.7	14.9	16.0	16.3
(क) राजस्व	11.6	12.1	12.3	12.0	12.7	12.8
(ख) पूंजी	3.2	3.3	3.1	2.7	2.9	3.2
(ग) ऋण और अग्रिम	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3
III. राजस्व घाटा	-0.9	-0.2	0.5	0.0	-0.1	-0.4
IV. सकल राजकोषीय घाटा	1.5	2.4	2.9	2.1	2.3	2.1
सामान्य सरकारें						
I. कुल प्राप्ति (क + ख)	27.2	27.8	28.5	27.6	28.3	28.3
क. राजस्व प्राप्ति (1 + 2)	21.3	19.8	18.7	20.3	19.5	20.7
1. कर प्राप्ति	17.6	16.5	15.2	16.0	16.2	17.1
2. कर-भिन्न प्राप्ति	3.7	3.4	3.5	4.2	3.3	3.5
ख. पूंजी प्राप्ति	5.9	8.0	9.8	7.4	8.8	7.6
II. कुल संवितरण	26.4	28.4	28.6	27.5	28.1	28.3
(क) राजस्व	21.5	24.1	24.4	23.5	23.8	23.7
(ख) पूंजी	4.5	3.9	3.8	3.4	3.6	4.1
(ग) ऋण और अग्रिम	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.5
III. राजस्व घाटा	0.2	4.3	5.7	3.2	4.3	3.1
IV. सकल राजकोषीय घाटा	4.0	8.3	9.3	6.9	8.1	7.2

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

- टिप्पणी: (1) चालू बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात सीएसओ की राष्ट्रीय लेखा 2004-05 श्रृंखला पर आधारित हैं।
 (2) विनिवेश प्राप्ति में राज्यों की विविध पूंजी प्राप्ति शामिल है।
 (3) नकारात्मक (-) चिह्न घाटा संकेतकों में अधिशेष दर्शाता है।
 (4) पूंजी प्राप्ति में निवल आधार पर लोक लेखा शामिल हैं।
 (5) पूंजी संवितरण लोक लेखा को छोड़कर हैं।

की। 2009-10 के अपवर्जन के साथ, राजस्व घाटे के संदर्भ में राज्यों की संयुक्त स्थिति आधिक्य थी। इसके अलावा यह उल्लेखनीय है कि स.घ.उ. अनुपात के प्रति पूंजी व्यय के अनुपात तथा विकास व्यय में वृद्धि के साथ व्यय की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। तथापि, जैसा कि कई अन्य आर्थिक सांकेतिकों के साथ है, राजकोषीय परिणाम के संदर्भ में प्राप्तियों में काफी अंतरराज्य विभिन्नताएं हैं। बजट बाह्य क्रियाकलापों तथा अर्ध-राजकोषीय क्रियाकलापों पर अधूरी सूचना राज्य वित्त साधनों से उत्पन्न एक अन्य सरोकार है। 2012-13 के राज्य बजटों का भारतीय रिजर्व बैंक का अध्ययन प्रदर्शित करता है कि सूचना अन्तराल होने के बावजूद राज्य सरकार स्तरों पर राजकोषीय पारदर्शिता बढ़ी है। राज्यों के वित्त साधनों की मुख्य समस्याओं में से एक समस्या विद्युत वितरण कम्पनियों की वित्तीय हालत है जिसने मार्च अंत 2011 की स्थिति

के अनुसार ₹ 1,90,000 करोड़ पर अनुमानित संचित हानियों की निरंतर साझेदारी जारी रखी है। यह मुख्यतः प्रशुल्कों की असंशोधित दरों, रियायतों के बकायों, उच्च सकल तथा तकनीकी हानियों और अल्प-अवधि विद्युत क्रय की उच्च लागत के कारण है। इस प्रकार राज्यों के वित्त साधनों को सशक्त बनाये रखने के लिए सतत् सुधार पहले महत्वपूर्ण हैं।

समेकित सामान्य सरकार

3.60 जैसा कि पिहले निर्दिष्ट किया गया है, केन्द्र का राजकोषीय घाटा 2010-11 में स.घ.उ. के 4 प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 (स.अ.) में 5.9 प्रतिशत हो गया। राज्यों के राजकोषीय घाटे के स.घ.उ. के 2.3 प्रतिशत की मामूली गिरावट को प्रदर्शित करते हुए

बॉक्स 3.5 : 14वें वित्त आयोग के विचारार्थ विषय

सिफारिशें प्रस्तुत करने हेतु 14वें वित्त आयोग द्वारा विचार में लेने हेतु निम्न व्यापक विचारार्थ विषय तथा मामले हैं:

- (i) केन्द्र और राज्यों के मध्य कर की निवल प्राप्तियों का विभाजन जो संविधान के अध्याय I, भाग XII के तहत उनके मध्य विभाजित होनी या हो सकती हैं तथा राज्यों के बीच ऐसी प्राप्तियों के संबंधित हिस्सों का आवंटन।
 - (ii) भारत की संचयी निधि से प्राप्त राज्यों के राजस्वों के सहायता-अनुदानों को शासित करने हेतु सिद्धांत तथा उन राज्यों को अदा की जाने वाली धनराशियां जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत इस अनुच्छेद के खण्ड (1) के परन्तुक में वर्णित प्रयोजनों से अन्यथा प्रयोजनों के लिए अपने राजस्वों की सहायता अनुदानों के जरिए सहायता की आवश्यकता है; और
 - (iii) राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों तथा नगर-पालिकाओं के संसाधनों को आपूर्ति करने हेतु राज्य की संचयी निधि में संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय।
- आयोग को वित्त साधन घाटा और केन्द्र तथा राज्यों के ऋण स्तरों की स्थिति की पुनरीक्षा करने तथा साम्यापूर्ण वृद्धि के सुसंगत एक स्थिर तथा स्थायी राजकोषीय वातावरण बनाये रखने के लिए उपाय सुझाने हेतु अधिदेशित किया गया है जिसमें वर्तमान में लागू एफआरबीएमए के संशोधन के सुझाव शामिल हैं। आयोग को कहा गया है कि वह एफ आर बी एम ए में निर्धारित बाध्यताओं का अनुपालन करने के लिए राज्यों हेतु प्रोत्साहनों तथा हतोत्साहनों की अनुसंशा करे।
 - अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करते समय, आयोग से अन्य बातों के साथ-साथ इन पर विचार किया जाना अपेक्षित है: केन्द्र सरकार के संसाधनों तथा केन्द्र सरकार के संसाधनों की मांगें राज्य सरकारों के संसाधन तथा विभिन्न शीर्षों के तहत इन संसाधनों की मांगें जिसमें ऋण ग्रस्त राज्यों में संसाधनों की उपलब्धता पर ऋण स्तरों का प्रभाव शामिल है; सभी राज्यों तथा केन्द्र के राजस्व लेखा पर केवल प्राप्तियों तथा व्यय के संतुलन का ही नहीं बल्कि पूंजी निवेश हेतु आधिक्य को सृजित करने का उद्देश्य; केन्द्र सरकार तथा प्रत्येक राज्य सरकार के कराधान प्रयास और अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए संभाव्यता; स्थायी तथा समावेशी वृद्धि के लिए अपेक्षित रियायतों का स्तर तथा केन्द्र और राज्य सरकारों के मध्य रियायतों की साम्यापूर्ण साझेदारी; पूंजी परिसम्पत्तियों के रखरखाव व्यय तथा अनुरक्षण के वेतन भिन्न संघटक पर व्यय और आयोजनागत योजनाओं पर वेतन भिन्न संबंधित रखरखाव व्यय को 31 मार्च 2015 तक पूरा किया जाना है और मानदण्ड जिनके आधार पर विशिष्ट राशियां पूंजी आस्तियों के रखरखाव के लिए अनुशंसित की जाती हैं तथा ऐसे व्यय की निगरानी करने का तरीका; संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से नीतिगत अस्थिरताओं से जनोपयोगी सेवाओं जैसे पीने का पानी, सिंचाई, विद्युत और जन-परिवहन के मूल्य निर्धारण को संरक्षित करने की आवश्यकता; सार्वजनिक-क्षेत्रक उद्यमों को प्रतिस्पर्धी तथा बाजारोन्मुखी बनाने की आवश्यकता; सूचीकरण तथा विनिवेश; गैर-प्राथमिकता उद्यमों का परित्याग करना; स्थायी आर्थिक विकास के साथ संगत पारिस्थितिकी, पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन के संतुलि प्रबंधन की आवश्यकता; और केन्द्र तथा राज्यों के वित्त साधनों पर प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर का प्रभाव तथा किसी राजस्व घाटे की स्थिति में भरपाई के लिए प्रक्रम।
 - आयोग से अपेक्षित है कि वह उन सभी मामलों में जहां कर तथा शुल्कों के अंतरण और सहायता अनुदान के निर्धारण के लिए जनसंख्या एक घटक है सामान्यता 1971 के जनसंख्या आंकड़ों को आधार के रूप में प्रयोग करें; तथापि, आयोग 1971 के पश्चात् हो चुके जनसांख्यिकी संबंधी परिवर्तनों को भी ध्यान में रख सकता है।
 - आयोग को वर्तमान सरकारी व्यय प्रबंधन प्रणालियों का पुनरीक्षण करना है। जिसमें वर्तमान में प्रचलित बजटीकरण तथा लेखाकरण के मानदंड तथा पद्धतियों प्राप्तियों एवं व्यय के वर्गीकरण की विद्यमान प्रणाली; उत्पादनों तथा परिणामों के परिचयों को संबद्ध करना; देश में तथा अंतर-राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ पद्धतियां शामिल हैं और उन पर समुचित सिफारिशें करना।
 - आयोग को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (2005 का 53) के तहत संस्थापित निधियों के संदर्भ में आपदा प्रबंधन के वित्तपोषण से संबंधित वर्तमान व्यवस्थाओं की पुनरीक्षा करनी है तथा उन पर उपयुक्त सिफारिशें करनी हैं।
 - आयोग को अपने निष्कर्षों का आधार निर्दिष्ट करना है तथा प्राप्तियों तथा व्यय के राज्यवार अनुमान उपलब्ध कराने है।

78 आर्थिक समीक्षा 2012-13

राजकोषीय परिणाम केन्द्र और राज्यों के संयोजन के रूप में 2010-11 के 6.9 प्रतिशत की तुलना में 2011-12 (स.अ.) में 8.1 प्रतिशत पर रहा था (सारणी 3.10)। 2012-13 (ब.अ.) में राजकोषीय घाटा कम होकर स.घ.उ. का 7.2 प्रतिशत होने की बजटीय व्यवस्था की गई है। हालांकि केन्द्र के लक्ष्य के संदर्भ में 0.2 प्रतिशत बिन्दुओं की संभवतः कमी हुई है 2012-13 में समग्र राजकोषीय परिणाम में बजटीय स्तरों को प्राप्त करने में राज्यों में अधि-निष्पादन मदद कर सकता है।

3.61 चौदहवें वित्त आयोग का गठन 02 जनवरी, 2013 को भारतीय रिजर्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर डॉ. वाई.वी. रेड्डी की अध्यक्षता में किया गया। आयोग के अन्य सदस्य ये हैं (i) प्रोफेसर अभिजित सेन (ii) सुश्री सुषमा नाथ (iii) डॉ. एम. गोविंद राव (iv) डॉ. सुदिपतो मंडल। आयोग का अधिदेश बाक्स 3.5 में विवरणित है।

दृष्टिकोण

3.62 यह अनुस्मरणीय है कि मध्य-वर्षीय आर्थिक विश्लेषण 2012-13 में किये गए उपायों के उल्लेख के जरिये 2012-13

के लिए राजकोषीय परिणामों से संबंधित चिंताओं को कम करने का प्रयास किया है। और वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे का स.घ.उ. के 5.3 प्रतिशत पर रहने को इंगित किया है। राजकोषीय घाटे के संदर्भ में अप्रैल-दिसंबर 2012 में परिणाम राजस्व में महत्वपूर्ण गिरावट के होते हुए भी, इसके घटित होने की संभावना को व्यापक रूप से प्रदर्शित करते हैं। ऋण-भिन्न प्राप्तियों में समग्र गिरावट संग्रहण, पहले से ही प्रचलित सुधारों हेतु बृहत्तर प्रयासों द्वारा नियंत्रित की जा सकती है। 2016-17 में स.घ.उ. के 3.0 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे में परिणामी राजकोषीय समेकन रूपरेखा के संदर्भ में दीर्घावधि दृष्टिकोण पहले से ही प्रारूपित कर लिया है। जैसाकि इस अध्याय में पूर्वतः सूचित किया है पेट्रोलियम रियायतों के महत्वपूर्ण राजकोषीय जोखिम का निवारण बेहतर राजकोषीय लक्ष्यप्राप्ति में महत्वपूर्ण है। डीजल मूल्यों में हाल ही के सुधारों तथा व्यय के पुनः पूर्विकता निर्धारण के प्रयासों के साथ मध्यावधि राजकोषीय समेकन योजना विश्वसनीय है तथा बृहत्तर वृद्धि और मूल्य स्थिरता के संदर्भ में वृहत्-आर्थिक लाभांश पुनः प्राप्त किये जा सकते हैं।